

<p>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार जिला हरिद्वार उपस्थित:- पीठासीन अधिकारी मुकेश चन्द्र आर्य, पी.सी.एस.(जे), (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)</p> <p>फौजदारी परिवाद संख्या 3830/2022 कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या 1928/2022 सी.एन.आर.नं. UKHA-02-010083-2022</p> <p>धारा 132 (1) (बी) और (सी) धारा 132 (1) (i) उत्तराखण्ड माल सेवा कर अधिनियम 2017 मुकदमा अपराध संख्या 01/CIU/C.O-47/2022-23</p>
--

धर्मेन्द्र राज चौहान उपायुक्त (कर निर्धारण-1), अतिरिक्त प्रभार उपायुक्त सी.आई.यू. राज्य कर विभाग, रोशनाबाद जिला हरिद्वार	अभियोगी
प्रतिनिधित्व द्वारा विशेष लोक अभियोजक	श्री लक्ष्य कुमार सिंह
बनाम	
सुरेन्द्र सिंह, निवासी ए-1, सुभाष नगर, रामेश्वरपुरम, ज्वालापुर, हरिद्वार।	अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा विद्वान अधिवक्ता	श्री सागर वशिष्ठ

अपराध का दिनांक	भिन्न-भिन्न
परिवाद दर्ज करने का दिनांक	03 / 10 / 2015
परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत करने का दिनांक	02 / 06 / 2022
आरोप विरचित करने का दिनांक	25 / 08 / 2022
साक्ष्य प्रारंभ करने का दिनांक (अंतर्गत धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता)	02 / 07 / 2022
निर्णय सुरक्षित रखे जाने का दिनांक	05 / 12 / 2022
निर्णय का दिनांक	17 / 12 / 2022
सजा के आदेश का दिनांक	17 / 12 / 2022

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	अधिरोपित दण्ड	धारा 428 दं0प्र0सं0 के उद्देश्य के लिये दौराने विचारण अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि
01	सुरेन्द्र सिंह	05/04/2022	शून्य	धारा 132 (1) (बी) और (सी) व धारा 132 (1) (i) उत्तराखण्ड माल सेवा कर अधिनियम 2017	दोषसिद्ध	कारावास और जुर्माना	08 माह 12 दिन

निर्णय

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध, परिवादी धर्मेन्द्र राज चौहान उपायुक्त (कर निर्धारण-1), अतिरिक्त प्रभार उपायुक्त सी.आई.यू. राज्य कर विभाग, रोशनाबाद जिला हरिद्वार (पी0डब्ल्यू01) के द्वारा, धारा 132 (1) (बी) और (सी) व धारा 132 (1) (i) उत्तराखण्ड माल सेवा कर अधिनियम 2017 (अग्रेतर संक्षेप में यू0के0जी0एस0टी अधिनियम अभिलिखित) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में परिवाद (अग्रेतर अभियोजन अभिलिखित) इस न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल पर अपनी अलग-अलग निम्नलिखित छः फर्मों को अपने व अपने परिजनों के नाम से पंजीकृत कराया और जिन्हें अभियुक्त द्वारा संचालित किया जाता था। यथा;

1	एस0एस0एस0 इन्टरप्राइजेज (GSTIN-05AIBPN7535N1ZX),
2	सुरीत मेटल, (GSTIN-05ADPFS3929L1ZO)
3	पी0एस0इन्टरप्राइजेज, (GSTIN- 05BARPS1918M2Z2)
4	पी0एस0डी.पैकेजिंग, (GSTIN-05AAHCP7587P1ZH),
5	एस0एस0एस0 इन्टरप्राइजेज (GSTIN-05DPBPK2518N2ZT) एवं
6	दीपक इन्टरप्राइजेज (GSTIN-05BNCPC0751Q1Z2)

3. आगे अभियोजन कथानक के अनुसार, उक्त फर्मों को अभियुक्त के द्वारा मैन पॉवर सप्लाय के लिये पंजीकृत कराया गया था, जबकि इनमें सेल एवं परचेज, आयरन, प्लाईवूड और अन्य की दर्शायी गयी और इस हेतु कॉमन मोबाईल नंबर व ई-मेल का प्रयोग ई-वे बिल बनाने के लिये किया गया। जिन घोषित वाहन से जहां माल को जाना दर्शाया है वहां ऐसे किसी वाहन ने टोल प्लाजा कास ही नहीं किया और कुछ वाहन तो माल ढुलाई कर ही नहीं सकते अथवा उनकी क्षमता इतनी नहीं है। माल को बिना सप्लाय किये जिन फर्मों से माल की सप्लाय को प्राप्त करना दर्शाया गया है वह फर्म फर्जी है या वहां किसी फर्म का अस्तित्व ही नहीं है और अभियुक्त के द्वारा बिना माल सप्लाय के आई.टी.सी. सरकार से क्लेम किया गया। सुरेन्द्र सिंह द्वारा जो आई.टी.सी. प्राप्त किया गया वह फर्म उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा में पंजीकृत है।

अभियुक्त द्वारा पी.एस.डी. पैकेजिंग उड़ीसा व उत्तराखण्ड; एक ही पेन नंबर AAHCP75878 पर पंजीकृत कराई गई है। जांच में यह भी पाया गया कि *बाईस* फर्मों में एक ही व्यक्ति या एक ही मोबाईल नंबर या एक ही पेन नम्बर पर पंजीकृत हैं। संबंधित फर्मों के सत्यापन के लिये संबंधित कमिशनर राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड ने पत्र लिखे तो ज्ञात हुआ कि अधिकतर फर्म *नॉन एग्जिसटेंस* या *नॉन फंक्शनल* हैं। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों द्वारा नौ फर्म को *आउटडोर सप्लाइ* घोषित किया गया, उनमें दो फर्म मैसर्स प्राईमा एण्ड कम्पनी प्रोपाराईटर प्रियंका डुडानी तथा मैसर्स सूर्याचल प्रोपाराईटर राजेश डुडानी के नाम है। धारा 70 के तहत संबंधित प्रोपाराईटरर्स व अभियुक्त के बयान लिये गये। अभियुक्त के द्वारा कर चोरी की गई और रूपया 17.01 करोड के फर्जी आई.टी.सी. को लाभ प्राप्त करते हुए उपयोग में लाया गया। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 132 (1) (बी) और (सी) के अंतर्गत धारा 132 (1) (i) यूके0जी0एस0टी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। जिस हेतु परिवाद के द्वारा वर्तमान परिवाद इस न्यायालय के समक्ष योजित किया गया।

4. दिनांक 06/04/2022 को परिवादी के उक्त परिवाद पर इस न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया और परिवादी की याचना पर मामला जांच साक्ष्य अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत किया गया और तब जांच अधिकारी ने बाद जांच आख्या प्रस्तुत की और दिनांक 02/06/2022 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध यूके0जी0एस0टी अधिनियम की धारा 132 (1) (बी) और (सी) व धारा 132 (1) के अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. अभियुक्त को मामले में नकलें प्रदत्त की गयी। अभियोजन ने मौखिक साक्ष्य के रूप में अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के तहत पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान को दिनांक 02/07/2022 को व पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय को दिनांक 11/07/2022 व 30/07/2022, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम को दिनांक 11/07/2022 व 30/07/2022, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल दिनांक 30/07/2022, पी0डब्ल्यू05 ईशा को दिनांक 30/07/2022 को परीक्षित कराया गया।

6. अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिवाद पत्र पी-1, परिवाद दाखिल करने हेतु अनुमति पत्र पी-2, जी0एस0टी0 रिटर्न से सम्बन्धित प्रपत्र पी-3,

जी0एस0टी0 रिटर्न से सम्बन्धित प्रपत्र पी-4, जी0एस0टी0 रिटर्न से सम्बन्धित प्रपत्र पी-5, फर्मों के रजिस्ट्रेशन का विवरण पी-6, अभियुक्त द्वारा जिन फर्मों से आई0टी0सी0 प्राप्त की गयी तथा जिनको सप्लाइ घोषित की गयी उनका रजिस्ट्रेशन विवरण पी-7 लगायत पी-10, ई-वे बिल में घोषित वाहनों के विभिन्न टोल प्लाजा पर आवागमन की स्थिति पी-11, अभियुक्त की फर्म पर सर्च/सीजर हेतु प्राप्त अधिकारपत्र एवं जांच के पंचनामा पी-12, बयान ओमप्रकाश नैथानी अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0, 2017 पी-13, बयान काजल चौहान अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0, 2017 पी-14, बयान सुरेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0, 2017 पी-15, उत्तराखण्ड के बाहर के फर्मों की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट पी-16, ट्रांसपोर्टर्स की जांच पर उनके द्वारा प्रेषित सत्यापन पत्र पी-17, वाहन पोर्टल से प्राप्त वाहन की रिपोर्ट पी-18, फर्म पी0एस0 इण्टरप्राइजेज के व्यापार स्थल से अभिगृहित गेट रजिस्टर एवं बिल पी-19, दिल्ली एवं हरियाणा की फर्म स्वामी को प्रेषित समन की स्थिति पी-20, फर्म प्राइम एण्ड कम्पनी के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त-5 देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट पी-21, अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0, 2017 बयान नीतू पी-22, बयान सुनैना पी-23, बयान दीपक चौहान पी-24, आई0पी0 एड्रेस का विवरण पी-25, बयान रोहित मनचंदा पी-26, बयान विवेक अग्रवाल पी-27, इनवर्ड एवं आउटवर्ड सप्लाइ हेतु बनाये गये ई-वे बिल पी-28, बैंक खातों का विवरण पी-29, अभियुक्त की फर्मों के केश एण्ड क्रेडिट लेजर का विवरण पी-30, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कमिश्नर द्वारा दिया गया अधिकार-पत्र पी-31, गिरफ्तारी मीमो पी-32, 65वीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र पी-33 लगायत पी-36 को प्रस्तुत किया अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन/परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06/10/2022 को, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 20/10/2021 को जारी, उत्तराखण्ड दण्डिक न्यायालयों की प्रकिया और अभ्यास नियम 2021 में दिये गये निर्देश के तहत वर्तमान मामले में अभियोजन प्रपत्रों में दर्शित प्रदर्श को "पी" से व मालमुकदमाती को "एम.ओ." से चिन्हांकित किया गया।

7. दिनांक 18/08/2022 को अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा (1) (बी) और (सी) यू0के0जी0एस0टी0 अधिनियम के उपबन्ध के तहत अन्तर्गत

धारा 132 (1) यू0के0जी0एस0टी अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

8. अभियोजन ने अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के तहत मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान को दिनांक 27/08/2022 को, पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय को दिनांक 09/09/2022 को, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम को दिनांक 15/09/2022, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल को दिनांक 06.10.2022 एवं पी0डब्ल्यू05 ईशा को दिनांक 15/09/2022 को परीक्षित कराया और दिनांक 00/00/0000 को अन्य कोई साक्ष्य न दिये जाने का पृष्ठांकन आदेश पत्र के बायें हाशिये पर किया गया और अभियोजन के साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर को समाप्त किया गया।

9. अभियुक्त की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 (1) (ख) दं0प्र0सं0 के तहत अंकित की गई, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन/परिवादी के साक्ष्य को गलत होना, उसे झूठा फंसाया जाना तथा उसका निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, कथन किया है कि उसके विरुद्ध पूर्ण जांच नहीं की गयी और गलत तरीके से जांच की गयी। उसे धारा 61 जी0एस0टी0 एक्ट के तहत साक्ष्य प्रस्तुत का समन विभाग द्वारा नहीं दिया गया। समस्त कम्पनियों का लेन देन उस पर सौंप दिया गया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया। किन्तु उसकी ओरे से सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

10. अभियुक्त से धारा 437-क दं0प्र0सं0 का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई और अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण अनुपालन नहीं किया गया।

11. दिनांक 00/11/2022 को अभियुक्त की ओर से कोई सफाई साक्ष्य न दिये जाने का पृष्ठांकन आदेश पत्र के बायें मार्जन पर किया गया और उसके सफाई साक्ष्य के अवसर को समाप्त किया गया।

12. अभियुक्त से अंतर्गत धारा 437-क दं0प्र0सं0 का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गई तो उसने विचाराधीन बंदी होने का अभिवाक करते हुए अनुपालन में असमर्थता व्यक्त की।

13. दिनांक 05/12/2022 को इस न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री लक्ष्य कुमार और अभियुक्त (अग्रेतर प्रतिरक्षा-पक्ष अभिलिखित) के विद्वान अधिवक्ता श्री सागर वशिष्ठ की

बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

14. वर्तमान मामले के विनिश्चय हेतु निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है। यथा;

(i) क्या अभियुक्त के द्वारा, वर्तमान मामले से संबंधित कोई कथित माल या सेवा की पूर्ति का अपवंचन/छिपाने के आशय से बिना इनवाइस जारी किये उसे जारी किया जाना दर्शाया गया और गलत प्राप्ति या निक्षेप कर उत्पादक सामग्री के प्रयोग या कर वापसी के लिए माल या सेवा की पूर्ति किये बिना इनवाइस या बिल जारी कर इनके माध्यम से कोई इनपुट का दावा करते हुए कर अपवंचन किया गया या नहीं ?

15. प्रतिरक्षा-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन कथानक को यह तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत किया गया कि अभियुक्त को मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और उसके प्रति वर्तमान अभियोजन का संचालन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति को प्राप्त किये ही प्रस्तुत किया है और मामले में जो मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार डुडानी था उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

16. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामले में परिवादी के द्वारा, अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामले में प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी कमिश्नर राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड से वाद चलाये जाने की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही वर्तमान परिवाद को न्यायालय के समक्ष योजित किया गया है और परिवादी के द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित भी किया गया है। जहां तक राजेश कुमार डुडानी को अभियुक्त के रूप में अभियोजित किये जाने का प्रश्न है तो उसके प्रति पृथक से वाद संस्थित किया जाने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

17. उक्त संदर्भ में अभियोजन की साक्षिक स्थिति को आंकलित किया जाए तो, पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान उपायुक्त (कर निर्धारण-1), अतिरिक्त प्रभार उपायुक्त सी.आई.यू. राज्य कर विभाग, रोशनाबाद जिला हरिद्वार ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 में इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् दिनांक 02/06/2022 को परिवाद पत्र सक्षम प्राधिकारी कमिश्नर राज्य कर विभाग

उत्तराखण्ड की स्वीकृति के पश्चात् दाखिल किया। इस साक्षी ने परिवाद को प्रदर्श पी-1 से और स्वीकृति पत्र को प्रदर्श पी-2 से साबित किया।

18. इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी के द्वारा, यू0के0जी0एस0टी अधिनियम की धारा 135 के तहत परिवाद प्रदर्श पी-1 दायर किये जाने से पूर्व अंतर्गत धारा 132 (6) यू0के0जी0एस0टी अधिनियम के उपबंधों की पूर्ति में संबंधित प्राधिकारी कमिश्नर राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड से अनुमति प्रदर्श पी-2 प्राप्त करने के बाद ही प्रस्तुत किया है।

19. पी0डब्ल्यू01 धर्मन्द्र राज चौहान ने तो अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 246 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को स्पष्ट किया, कि उसे जांच करने का अधिकार है और जांच करने के लिये एडिशनल कमिश्नर के द्वारा अधिकृत किया गया और उसने यह लिखित में लिया था। उसने अभियुक्त सुरेन्द्र की दो कम्पनी व चार परिजनों की कम्पनी द्वारा दाखिल रिटर्नो की जांच करते हुये; जांच को आगे बढ़ाया। इन दोनो फर्मो में अभियुक्त सुरेन्द्र की फर्मो का टांजेक्शन है। इन फर्मो से सम्बन्धित दस्तावेज; पत्रावली पर परिवाद के साथ दाखिल किये हैं। अभियुक्त द्वारा अपने बयान में कहा गया कि राजेश डुडानी द्वारा हमें बिल प्रदत्त कराये गये थे। जो भी ट्रांजेक्शन बिल से सम्बन्धित हैं वह सब ऑनलाईन हुए हैं।

20. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मन्द्र राज चौहान ने अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 246 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि 22 फर्मो के विषय में रिटर्न फाईल है या नहीं; वह इस जांच के सम्बन्ध में प्रांसगिक नहीं है, इन 22 फर्मो से अभियुक्त सुरेन्द्र की फर्मो का लेन-देन है। इन फर्मो से सम्बन्धित जो भी लेन-देन होता है वह जी0एस0टी0 पोर्टल 2ए में प्रदर्शित होता है। इस सम्बन्ध में सप्लायर द्वारा जी0एस0टी0 आर-1 दाखिल की गई है।

21. जहां तक अभियोजन के द्वारा, राजेश कुमार डुडानी के विरुद्ध मामले को संचालित किये जाने के प्रतिरक्षा-पक्ष के तर्क का संबंध है तो, इस संबंध में; पी0डब्ल्यू01 धर्मन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल, पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह तथ्य आया है, कि विवेचना में पाया गया कि राजेश कुमार डुडानी के विरुद्ध फर्जी इनवाईसेस व मल्टीपल फर्म के बिल/इनवाईस उपलब्ध कराने का साक्ष्य है तथा उन बिल/इनवाईस के आधार

पर आई.टी.सी अवेल व पास ऑन किया गया तथा इस हेतु माल के मूवमेंट को प्रमाणित करने हेतु ई-वे बिल जनरेट किये गये जो दस्तावेज सरकारी पोर्टल से निकाले गये जो पत्रावली पर बन्डल संलग्नक Z है। जिसे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-28 से साबित किया।

22. वहीं पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट किया, कि उसकी मुख्य परीक्षा में राजेश डुडानी के विरुद्ध जांच चल रही है वह भी इसमें सह-अभियुक्त है। उस पर फर्जी बिल उपलब्ध कराने का आरोप है। राजेश डुडानी के नाम दो फर्मे चल रही है, उन फर्मों के नाम; मैसर्स सूर्याचल फर्नीटेक एवं दून ट्रेडिंग कंपनी है।

23. पी0डब्लू02 विनय कुमार पाण्डेय की प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, यह बात सही है कि उसके बयान के पैरा नंबर 25 में साक्षी विवेक अग्रवाल द्वारा अपने बयान धारा 70 यू.के.जी.एस.टी. में बताया गया कि यह सभी बिल राजेश डुडानी द्वारा दिये जाते थे। राजेश डुडानी के विरुद्ध जांच जारी है, उन्हें भी इस मामले का सह-अभियुक्त माना गया है। इस अपराध में दोनों सलिप्त हैं। राजेश डुडानी द्वारा बिना माल की सप्लाई किये केवल आई.टी.सी. का अनुचित लाभ देने के लिये फर्जी बिल दिये गये है तथा उन बिलों के आधार पर सुरेन्द्र सिंह द्वारा फर्जी आई.टी.सी. लिया गया है। राजेश डुडानी द्वारा जो फर्जी बिल दिये गये है उसके लिये उस पर कार्यवाही की जायेगी तथा उन बिलों के सापेक्ष लिये गये फर्जी इनपुट क्रेडिट के विरुद्ध अभियुक्त सुरेन्द्र पर कार्यवाही की गई। अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा जो फर्जी बिलों का लेनदेन किया है वह उसी के लिये जिम्मेदार है।

24. पी0डब्लू03 टीकाराम की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, वाद उपरोक्त में सह-अभियुक्त राजेश डुडानी से बिलों के आधार पर माल अभियुक्त सुरेन्द्र को खरीदना बताया है। वाद उपरोक्त में राजेश डुडानी भी सह-अभियुक्त है।

25. पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, राजेश डुडानी की फर्मा द्वारा जो फर्जी बिल अभियुक्त सुरेन्द्र को दिये गये हैं वो उसके जी.एस.टी.आर. 2ए में प्रदर्शित होंगे। अधिनियम के अनुसार बोगस बिलों की सप्लाई करना या उसे रिसीव करना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते है। उसकी जानकारी में राजेश डुडानी के नाम पर, सूर्याचल

फर्नीटेक उत्तराखण्ड में एवं दून ट्रेडिंग कम्पनी दिल्ली में; पंजीकृत है।

26. आगे पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 में यह भी कथन किया, कि राजेश डुडानी के द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को बिना माल की वास्तविक सप्लाई करते हुये केवल इनपुट का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इनवाईसेस टेंडिंग की गई जो कि उसकी ई-वे बिल की जांच से स्पष्ट है। प्रकरण में चूंकि बोगस आई.टी.सी. का समस्त लाभ आई.टी.सी. उपयोग करते हुये अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा लिया गया। जिस कारण उसे वाद में मुख्य आरोपी बनाया गया। अभियुक्त सुरेन्द्र के द्वारा ही धारा 70 में जारी समन के क्रम में दिये गये बयानों में राजेश डुडानी की सलिप्तता पाई गई जिस आधार पर उसे सह-अभियुक्त बनाया गया।

27. उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट किया, कि अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जांच चल रही है। इस परिवाद पत्र में सुरेन्द्र को ही अभियुक्त बनाया गया है अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद पत्र; जांच के बाद दाखिल किया जायेगा। इस प्रकार अभियोजन के अनुसार राजेश कुमार डुडानी के प्रति वर्तमान मामले से संबंधित कार्यवाही पृथक से संचालित की जायेगी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त राजेश कुमार डुडानी के प्रति कोई वैकल्पिक निष्कर्ष निकाले जाने का आधार शेष नहीं रह जाता है।

28. अग्रेतर प्रतिरक्षा-पक्ष की ओर से अभियोजन कथाकन को प्रश्नगत करने का यह आधार है कि मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी बिना किसी वैध कारण के की गई है जबकि उसके प्रति तो कोई मामला भी नहीं बनता है। परिवादी के द्वारा उसके प्रति परिवाद को मिथ्या रूप से दर्ज करवाया गया है।

29. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को वर्तमान मामले में पूर्ण जांच करने के बाद और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और इस तथ्य की पुष्टि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से होती है।

30. उक्त संबंध में यदि विधिक स्थिति को आंकलित किया जाए तो यहां धारा 69 यू0के0जी0एस0टी अधिनियम का संदर्भ दिया जाना न्यायोचित होगा। यह निम्नवत पठनीय है :-

धारा 69 (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा 1 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या उपधारा 2 के अधीन दण्डनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये प्राधिकृत करेगा।

31. उक्त संदर्भ में अभियोजन की साक्षिक स्थिति को आंकलित किया जाए, तो पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार, यू0के0जी0एस0टी अधिनियम की धारा 132 के अनुसार, कर अपवंचन की धनराशि पांच करोड़ से अधिक होने पर गिरफ्तारी की जाती है और वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध पांच करोड़ से अधिक धनराशि है।

32. अभियोजन कथानक को संपुष्टि स्वरूप अतिरिक्त मजबूती पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में दिये गये इस साक्ष्य से मिलती है, कि जब प्रथमदृष्टया अभियुक्त व राजेश जुडानी के विरुद्ध इनपुट मिले व विवेचना तथा जांच के पश्चात् यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा पांच करोड़ से उपर की आई.टी.सी. का अनुचित लाभ फर्जी बिलों व फर्जी इनवाईसेस के आधार पर, फर्जी फर्मों के द्वारा, बिना वास्तविक माल प्राप्त किये धोखाधड़ी कर सरकार के राजस्व की चोरी की, चोरी के उद्देश्य से फर्जी आई.टी.सी. के माध्यम से अपनी वास्तविक कर देयता को छुपाया गया; तब हमारी टीम ने इसकी सूचना कमिश्नर राज्य कर विभाग देहरादून को दी।

33. आगे पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि उक्त "सूचना" व "विश्वास करने के कारण" के आधार पर; कमिश्नर राज्य कर उत्तराखण्ड श्री डॉ0 अहमद इकबाल द्वारा, "गिरफ्तार करने का प्राधिकार" श्री धर्मेन्द्र राज चौहान, उपायुक्त (पी0डब्ल्यू01) को दिनांक 04/04/2022 को दिया, जिस पर कमिश्नर साहब के हस्ताक्षर व उनके कार्यालय की मोहर है जिन्हें, वह पहचानता है, उसने लिखते-पढ़ते देखा है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श पी-31 से साबित किया। उक्त तथ्यों की संपुष्टि अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के बयान में पी0डब्ल्यू03 टीकाराम व पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल, के द्वारा की गई।

34. पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल व पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया कि हमारी टीम द्वारा, श्री धर्मेन्द्र राज चौहान उपायुक्त (पी0डब्ल्यू01) के नेतृत्व में, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 05/04/2022 को दो गवाहों की उपस्थिति में, अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होने के कारण गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तारी मैमो को इस साक्षी ने प्रदर्श पी-32 से साबित किया और कथन किया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ उपायुक्त श्री धर्मेन्द्र राज चौहान के साथ मेरे सहित टीम के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

35. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान से प्रतिरक्षा पक्ष के द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्न पूछा गया:—

प्रश्न:— धारा 132 (1) (बी) (सी) में क्या अपराध होता है?

उत्तर:— पहला अपराध यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा बिना बिल जारी किये माल सप्लाई किया गया। दूसरा यह है कि बिना माल सप्लाई के बिल जारी किया गया था और इन बिल के माध्यम से इनपुट क्लेम किया जाता है।

36. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान की प्रति परीक्षा के अनुसार, दिनांक 05/04/2022 को अभियुक्त सुरेन्द्र की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त सुरेन्द्र को गिरफ्तारी से पूर्व अपनी सफाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कोई समय प्रदान नहीं किया गया क्योंकि कोई प्रावधान ही नहीं है। अभियुक्त सुरेन्द्र की गिरफ्तारी राज्य कर कार्यालय रोशनाबाद कार्यालय से की। दिनांक 05/04/2022 को अभियुक्त सुरेन्द्र अभिग्रहित लेखा पुस्तकों की जांच के सम्बन्ध में स्वयं कार्यालय आये थे। अभियुक्त सुरेन्द्र कार्यालय स्वयं 10:00 से 10:30 बजे की बीच आ गये थे। उसके द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व उसकी अनुमति आयुक्त राज्य कर देहरादून से ली गयी थी; सही दिनांक अभी पता नहीं है। गिरफ्तारी अनुमति पत्र सी.आई.यू. टीम के अधिकारी लेकर आये थे। गिरफ्तारी के बाद हमने तलाशी ली व मेडिकल कराया उनके परिचित को सूचना के पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा के लिये प्रार्थना की गई।

37. पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय से उसकी प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 में प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्न पूछा गया:—

प्रश्न:— क्या धारा 70 यू.के.जी.एस.टी. में अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर यह गिरफ्तारी का आधार है या नहीं?

उत्तर:— यू.के.जी.एस.टी. एक्ट की धारा 69, धारा 132 (1) (बी),(सी),(डी), धारा 132 (1)(i) के अधीन गिरफ्तारी का आधार है।

38. पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र की गिरफ्तारी दिनांक 4 या 5 अप्रैल को रोशनाबाद राज्य कर भवन से की गई। मैं गिरफ्तारी टीम का सदस्य था। अभियुक्त सुरेन्द्र की गिरफ्तारी के समय मैं मौजूद था। अभियुक्त सुरेन्द्र अपने दिनांक 01/04/2022 की रेड के प्रकरण में कुछ प्रश्न करने उपायुक्त महोदय के कार्यालय में आया था क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की अनुमति आयुक्त कर महोदय द्वारा पूर्व में ही दे दी गई थी। अतः उसे कार्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त सुरेन्द्र को गिरफ्तारी के समय सूचना दी गई थी कि आपको गिरफ्तारी करने की अनुमति राज्य कर आयुक्त महोदय द्वारा “विश्वास करने का कारण” होने पर प्रदान की दी गई है। जब वह कार्यालय पहुंचा तो वह उपायुक्त कार्यालय में पहले से ही बैठा हुआ था। गिरफ्तार श्री धर्मेन्द्र राज चौहान उपायुक्त (पी0डब्लू01) द्वारा किया गया।

39. पी0डब्लू05 सुश्री ईशा, की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र की गिरफ्तारी के समय रोशनाबाद कार्यालय हरिद्वार में मेरी ड्यूटी थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हरिद्वार कार्यालय से हुई थी। अभियुक्त सुरेन्द्र को, आयुक्त द्वारा जारी, गिरफ्तारी की अनुमति के उपरान्त ही गिरफ्तार किया गया।

40. इस प्रकार उपरोक्त संविवाद के बाद यह न्यायालय अभियोजन के उक्त तर्क में प्रर्याप्त साक्ष्य पाता है। क्योंकि वर्तमान मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी; उसके द्वारा मात्र कर को अदा न करने की आशंका के आधार पर नहीं की गयी है वरन जब संबंधित विभाग के कमचारियों ने इस तथ्य का पूर्णतः समाधान कर लिया, कि अभियुक्त के द्वारा पांच करोड रूपये से अधिक का कर अपवंचन किया गया है और राज्य कर के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इस हेतु अनुमति दी गयी तब ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि अधिनियम का मूल उद्देश्य तो कर लगाने, मूल्यांकन और वूसली के लिये ही है।

41. उक्त संविवाद के अग्रसरण में यह भी उल्लेखनीय है कि यू0के0जी0एसटी0 एक्ट के अध्याय 14 में वर्णित धारा 69 में निर्दिष्ट उपबंधों से यह स्पष्ट है कि इस अध्याय के अधीन; निरीक्षण, तलाशी और जब्ती के दौरान जब संबंधित आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण होता है, कि किसी व्यक्ति ने यू0के0जी0एसटी0 एक्ट की धारा 132 की उपधारा (1) के किसी उपखण्ड या धारा 132 की उपधारा (2) के किसी उपखण्ड में निर्दिष्ट कोई दण्डनीय अपराध किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विभाग के किसी सक्षम अधिकारी को अधिकृत करने का आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार वर्तमान मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी में इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाना स्पष्ट होता है।

42. प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा अभियोजन कथानक को अग्रेतर यह तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत किया गया कि अभियोजन ने पी0डब्ल्यू01 लगायत पी0डब्ल्यू05 को परीक्षित कराया है और उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में एक से ही कथन किये हैं। इससे स्पष्ट है कि वह सिखाये-पढ़ाये गये हैं और इस कारण उनका साक्ष्य मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

43. वहीं अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध संचालित मामला तो कर अपवंचन व तथ्यों के छिपाव से संबंधित है और यह दस्तावेजों में वर्णित हैं, जिन्हें अभियोजन के द्वारा साबित किया गया है तथा पी0डब्ल्यू01 लगायत पी0डब्ल्यू05 के द्वारा उन्हीं कथनों को वर्णित किया गया है जो वास्तविक हैं और यह प्रदर्शित दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं से संबंधित हैं। अतः इन्हें साक्षीगण के द्वारा एक से कथन करना नहीं कहा जा सकता है वरन यह तो अभियोजन कथानक की संपुष्टि के रूप में हैं।

44. उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में अभियोजन ने वर्तमान मामले में अभियुक्त के प्रति की गयी जांच कार्यवाही में; पी0डब्ल्यू01 धर्मन्द्र राज चौहान, उपायुक्त (कर निर्धारण-1), अतिरिक्त प्रभार उपायुक्त सी.आई.यू. राज्य कर विभाग, रोशनाबाद जिला हरिद्वार, पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, उपायुक्त, (ऑडिट)/सदस्य सी0आई0यू0 टीम राज्य कर देहरादून, पी0डब्ल्यू03 श्री टीकाराम, सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय देहरादून, पी0डब्ल्यू04 श्री मनमोहन असवाल, सहायक आयुक्त, राज्य कर हरिद्वार खण्ड 1 हरिद्वार एवं पी0डब्ल्यू05

सुश्री ईशा राज्य कर अधिकारी, देहरादून; इन प्राधिकारीगण का एक टीम के सदस्य के रूप में शामिल होने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

45. उक्त संदर्भ में अब यदि अभियोजन की साक्षिक स्थिति को ब्यौरेवार आंकलित किया जाए तो उल्लेखनीय है कि पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल और पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह तथ्य आया, कि अभियुक्त के विरुद्ध, संबंधित विभाग को राजस्व चोरी (आई.टी.सी. का अनुचित लाभ) के सम्बन्ध में *इनपुट* मिले। अभियुक्त और उनके साथियों द्वारा सरकार के राजस्व को फर्जी फर्मों के द्वारा, फर्जी बिल/ *इनवॉइस* के आधार पर बिना माल प्राप्त किये; कर अपवंचन किया जा रहा था।

46. उक्त साक्षीगण के परिसाक्ष्य में यह तथ्य भी आया कि उन सभी ने; अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा, जी0एस0टी पोर्टल पर दी गई *आई.टी.सी.* से सम्बन्धित जी0एस0टी0 आर 2A, जी0एस0टी0 आर 3B, जी0एस0टी0 आर-1 एवं *ई-वे बिल* की जांच की और पाया कि सुरेन्द्र सिंह द्वारा माल की वास्तविक *सप्लाई* प्राप्त किये बिना ही फर्जी बिलों के आधार पर *इनपुट टैक्स क्रेडिट* का लाभ लिया गया है। इसके बाद अभियुक्त की फर्मों के द्वारा दाखिल किये *रिटर्न* की *स्कूटनी* करने पर पाया कि उनके द्वारा अपनी वास्तविक कर देयता को कम करने के लिये फर्जी बिलों से खरीद दर्शायी है। इसी प्रकार विगत पांच वर्षों के *कैश* एवं *क्रेडिट लेजर* की भी *स्कूटनी* करने पर ज्ञात हुआ कि इसकी फर्म द्वारा, अन्य फर्जी फर्मों से फर्जी *क्रेडिट*; अपने *क्रेडिट* में लिया जा रहा है।

47. अभियोजन कथानक को अतिरिक्त मजबूती तब प्राप्त होती है जब पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक के समर्थन में यह कथन करता है, कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी *आउटवर्ड सप्लाई* को जी0एस0टी आर-1 में दर्ज किया जाता है तो वह बिल 2ए में प्रदर्शित होता है। अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा दिये गये *बिल* जी0एस0टी0 पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे थे। जी0एस0टी 2ए में प्रदर्शित जो बिल पोर्टल पर दिखाई देता है उसके आधार पर ही उसका कर दाता बनता है। पोर्टल पर जो जी0एस0टी आर-1 में धनराशि बनती है, उसका दायित्व; सुरेन्द्र का है अन्य किसी व्यक्ति का नहीं है। जी0एस0टी0 आर 2ए के माध्यम से जो *इनपुट क्लेम* किया जाता है उसकी

सामान्यतः देनदारी सप्लायर की होती है। अभियुक्त सुरेन्द्र सप्लायर व प्राप्त करता भी है।

48. वहीं अभियोजन कथानक को अतिरिक्त मजबूती प्राप्त होती है जब पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों का चयन ऑडिट में नहीं हुआ था; अपितु कमिश्नर राज्य कर द्वारा गठित सी.आई.यू. इकाई, जिसका वह सदस्य हैं; द्वारा की गई जांच में हुआ था। पी0एस0 इन्टरप्राइजेज फर्म के दस्तावेजों की जांच उसके द्वारा की गई थी। बिल बुक, खरीद के रजिस्टर, लेजर और गेट रजिस्टर इत्यादि दस्तावेज देखे गये थे इसके अलावा इनके द्वारा अपने लेपटॉप में रखे जा रहे डाटा को भी देखा गया।

49. आगे इस साक्षी ने तो इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि दिनांक 01/04/2022 से लगभग एक माह से पूर्व इन सारी फर्मों द्वारा दाखिल विवरण की जांच की जा रही थी। दिनांक 01/04/2022 को सर्वेक्षण के उपरान्त पाये गये सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हुये आयुक्त कर को रिपोर्ट दी गई और प्राप्त अनुमति के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की गई।

50. वहीं इस तथ्य की संपुष्टि पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय ने अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 में की और यह भी स्पष्ट किया, कि वह सुरेन्द्र सिंह फर्मों में दिनांक 01/04/2022 को दोपहर के समय गये थे। हमारी पूरी टीम जांच के लिये गयी थी, इसके अलावा अन्य नामित सदस्य श्री विद्यांचल कुमार, श्री सुरेन्द्र राणा, सुश्री नेहा मिश्रा, सुश्री अलिशा बिष्ट भी गये थे।

51. पी0डब्ल्यू03 टीकाराम की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, दिनांक 01/04/2022 को वह भी टीम के साथ अभियुक्त सुरेन्द्र की कम्पनी सूरित मेटल में गया था, किसी अन्य फर्म में नहीं गया था। इस साक्षी ने आगे इस तथ्य को स्पष्ट किया कि उसके द्वारा सूरित मेटल में जाने वाली बात अपनी मुख्य परीक्षा में इसलिए नहीं कही थी क्योंकि उसे मुख्य परीक्षा के समय यह बात ध्यान नहीं आयी थी।

52. वहीं पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार तो, उसे, अपर आयुक्त द्वारा, जांच टीम का सदस्य मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में नामित किया गया था, उसे लिखित में आई.एन.एस. 01 से अधिकृत किया गया था, जिसकी जांच दिनांक

01/04/2022 को की गई जिसमें उसे फर्म एस.एस.एस. इन्टरप्राइजेज जो कि नीतू के नाम पर पंजीकृत थी का सर्च सीजर और इन्स्पेक्शन करने को अधिकृत किया गया था। जिसकी उसने स्कूटनी की। क्योंकि उसके ही खण्ड में पंजीकृत फर्म है।

53. आगे पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल ने अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य का भी प्रकटन किया कि उसके साथ दिनांक 01/04/2022 को लगभग बीस अधिकारी उपस्थित थे जिनको अलग-अलग फर्मों के लिये अधिकृत किया गया था। श्री विनय पाण्डेय सी.आई.यू. (पी0डब्लू02) अधिकारी उसके साथ टीम में थे। जिनके साथ वह, सुरित मेटल व पी0एस0 इन्टरप्राइजेज के पंजीकृत कार्यालय में पहुंचा था। इनका व्यापार स्थल इंडस्टियल दादूपुर गोविन्दपुर इंडस्टियल एरिया में था। आगे इस साक्षी ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह की फर्म पी.एस.डी. पैकेजिंग की स्कूटनी की गई थी। स्कूटनी की जांच ऑनलाईन की गई।

54. पी0डब्लू05 सुश्री ईशा, की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, टीम का गठन कमिश्नर साहब करते हैं। उसके अलावा, धर्मेन्द्र राज चौहान, विनय पाण्डेय, मनमोहन असवाल, टीकाराम चन्पाल इस टीम में थे। दिनांक 01/04/2022 को वह अपने टीम के साथ अभियुक्त सुरेन्द्र की फर्म पी.एस.डी. पैकेजिंग में गयी थी। उस समय वहां कोई स्टॉफ नहीं मिला। हमें कुछ दस्तावेज मिले, जो हमने आई.एन.एस. 02 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किये। आगे इस साक्षी ने इस तथ्य को स्पष्टीकृत किया कि दिनांक 01/04/2022 को सर्वे की यह बात उसने अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं लिखी थी, उस समय मेरा ध्यान नहीं रहा।

55. इस प्रकार उक्त वर्णित तथ्य से यह समाधान होता है, कि पी0डब्लू01 लगायत पी0डब्लू05 की मामले से संबंधित सुसंगत समय व स्थान पर उपस्थिति स्वाभाविक गवाह की है। अतः मात्र प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा यह अभिकथित कर देने से कि अभियोजन साक्षीगण के द्वारा एक ही स्वरूप के कथन किये गये हैं; इससे अभियोजन का संपूर्ण मामला संदिग्ध नहीं हो जाता है। क्योंकि न्यायालय को तो मामले में निर्णय किसी साक्षी के एक कथन या वाक्य के आधार पर न करके अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा के आधार पर किया जाना होता है।

56. उक्त संविवाद से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में संबंधित कमिश्नर राज्य कर द्वारा, विधितः एक सी.आई.यू. इकाई को भिन्न-भिन्न फर्मों की जांच के लिये गठित किया गया और इस हेतु उक्त वर्णित कर्मचारियों को अधिकृत किया और जिसके अग्रसरण में अभियुक्त से संबंधित फर्म की भी जांच की गयी और तब संबंधित राज्य कर विभाग के उक्त कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त की वर्तमान मामले में संलिप्ता पायी गयी और तदनुसार ही उसे वर्तमान मामले में अभियोजित किया गया। अतः पूर्वोक्त वर्णित कारणों के चलते प्रतिरक्षा-पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

57. अग्रेतर प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा अभियोजन कथानक को यह तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत किया गया कि अभियुक्त को वर्तमान मामले में अभियोजित किये जाने से पूर्व राज्य कर विभाग के कर्मचारीगण के द्वारा, उसको अपना पक्ष रखे जाने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया तथा धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0 के तहत जो अभियुक्त व अन्य व्यक्तियों के बयान लिये गये हैं, वह विधितः नहीं में लिये गये हैं। अभियोजन की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अभियुक्त के द्वारा अभिकथित रूप से किसके कार्यालय में कोई धनराशि को जमा कराया गया। इस कारण अभियोजन का कथानक संदिग्ध हो जाता है।

58. अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामले में जब यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट की धारा 70 के तहत ओमप्रकाश नैथानी, काजल चौहान, श्रीमती नीतू, श्रीमती सूनैना कुमारी, दीपक चौहान, रोहित मनचन्दा, विवेक अग्रवाल, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये तो उनसे अभियुक्त की मामले में संलिप्ता स्पष्ट हुई। इसके अतिरिक्त दिल्ली व हरियाणा की फर्मों के प्रोपाराईटरर्स को जी0एस0टी के प्रावधानों के अनुसार बयानों के लिये समन किया गया और उनसे भी यह तथ्य ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह की वर्तमान मामले में पूर्ण भूमिका है। धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0 के तहत अभियुक्त व अन्य व्यक्तियों के बयान नियमानुसार लिये गये हैं, जिन्हें पत्रावली में दाखिल भी किया है। जिन्हें प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भी नहीं किया गया है।

59. उक्त संदर्भ में यदि विधिक स्थिति को आंकलित किया जाए तो यहां धारा 70 यू.के.0जी0एस0टी0 एक्ट का संदर्भ दिया जाना न्यायोचित होगा; यह निम्नवत पठनीय है:—

धारा 70 (1) इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में साक्ष्य देने के लिये या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जायेगा।

धारा 144 जहा कोई दस्तावेज—

(i) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है; अथवा

(iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है, और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, उसके विरुद्ध अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया हो, न्यायालय—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जायेगी।

(i) ऐसे दस्तावेज अंतर्वस्तु की सत्यता;

(ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादन या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य निष्पादन या अभिप्रमाणन किया गया हो ;

(ख) यह होते हुए भी कि सम्यक्तः स्टांपित नहीं है, में दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में गृहीत है।

60. उक्त संदर्भ में अब यदि अभियोजन की साक्षिक स्थिति को आंकलित किया जाए तो पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार, वर्तमान मामले के संबंध में अंतर्गत धारा 70 यू.के. जी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् व्यापार स्थल पर मैसर्स पी0एस0 इन्टरप्राइजेज के ओमप्रकाश नैथानी एच0आर0, उसकी एकाउन्टेंट काजल चौहान, श्रीमती नीतू प्रोपाराईटर मैसर्स S.S.S. Enterprises तथा पार्टनर सुरीट मेटल, सूनैना कुमारी प्रोपाराईटर मैसर्स S.S.S. Enterprises तथा पार्टनर सुरीट मेटल, दीपक चौहान प्रोपाराईटर मैसर्स Deepak Enterprises एवं PSD Packaging दीपक कुमार के नाम फर्जी रूप से पंजीकृत करायी गयी, रोहित मनचन्दा प्रोपाराईटर सर्वश्री एल0वी0 पावर प्रोजेक्ट, विवेक अग्रवाल पार्टनर सर्वश्री काशी पैकेजिंग इन्डस्ट्रीज और अभियुक्त सुरेन्द्र के बयान लिये गये।

61. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने; ओमप्रकाश नैथानी एच0आर0 के बयान पत्रावलित संलग्नक P को प्रदर्श पी-13 से, एकाउन्टेंट काजल चौहान के बयान पत्रावलित संलग्नक Q को प्रदर्श पी-14 से, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के बयान पत्रावली संलग्नक M को प्रदर्श पी-15, श्रीमती नीतू के बयान पत्रावली संलग्नक U को प्रदर्श पी-22, सूनैना कुमारी के बयान पत्रावली संलग्नक U को प्रदर्श पी-23, दीपक कुमार के बयान पत्रावली संलग्नक U को प्रदर्श पी-24, रोहित मनचन्दा के बयान पत्रावली संलग्नक Y को प्रदर्श पी-26, विवेक अग्रवाल के बयान पत्रावली संलग्नक Y को प्रदर्श पी-27 से साबित किया गया। जिनका ब्यौरेवार वर्णन निम्नवत है, यथा;

ओमप्रकाश नैथानी के बयान के अनुसार – वह इस फर्म तथा अन्य फर्मों का एच0आर0 तथा बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी देखता है। कोई भी वास्तविक खरीदारी खुशी इन्टरप्राइजेज, शगुन इन्टरप्राइजेज, कुमार इन्टरप्राइजेज, दून टेडिंग कम्पनी एवं मैसर्स गरिमा इन्टरप्राइजेज से नहीं की। केवल बिल का आदान-प्रदान किया। बिल उन्हें राजेश डुडानी द्वारा उपलब्ध कराये गये।

काजल चौहान के बयान के अनुसार – वह सुरेन्द्र सिंह की अन्य फर्मों का काम भी देखती है सभी फर्मों में केवल बिल लिये गये, माल की आवाजाही नहीं हुई कुछ बिल मुझे कोरियर के

माध्यम से पर्याप्त कराये जाते थे। ये बिल राजेश डुडानी द्वारा लाये जाते थे जो कि दिल्ली की फर्मों के मालिक है।

श्रीमती नीतू के बयान के अनुसार – अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उन फर्मों को ऑपरेट करता है उसका बैंक एकाउन्ट भी वही संचालित करता है। ”

श्रीमती सूनैना कुमारी के बयान के अनुसार – अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उन फर्मों को ऑपरेट करता है तथा सुरेन्द्र द्वारा ही फर्म रजिस्टर्ड करायी गयी तथा चलायी जाती हैं उसका बैंक एकाउन्ट भी वही संचालित करता है।

दीपक चौहान के अनुसार – मै आई.टी.सी. कम्पनी मे सुपरवाइजर का कार्य करता हूँ तथा मेरे द्वारा उपरोक्त फर्म में कभी पंजीकृत नहीं करायी अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उन फर्मों को ऑपरेट करता है उसका बैंक एकाउन्ट भी वही संचालित करता है।

रोहित मनचन्दा के बयान के अनुसार – 1. मैसर्स रमन टैडिंग कम्पनी, 2. मैसर्स भारत टैडिंग कम्पनी, 3. मैसर्स नीलकन्ठ इन्डस्ट्रीज, 4. मैसर्स कुमार इन्टरप्राइजेज, 5. मैसर्स गरिमा इन्टरनेशनल, 6. मैसर्स कृष्णा इन्टरनेशनल, 7. मैसर्स कटारिया इन्टरप्राइजेज; उपरोक्त फर्मों से, बिलों की खरीद की जाती है जिसका उद्देश्य कान्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिये अपनी फर्म की टर्नओवर बढ़ाना मात्र है। उपरोक्त सभी फर्मों के बिल राजेश डुडानी, बिना माल सप्लाई किये, मेरे कार्यालय में उपलब्ध कराता था।

विवेक अग्रवाल के बयान के अनुसार – 1. मैसर्स रमन टैडिंग कम्पनी, 2. मैसर्स भारत टैडिंग कम्पनी, 3. मैसर्स नीलकन्ठ इन्डस्ट्रीज, 4. मैसर्स कुमार इन्टरप्राइजेज, 5. मैसर्स गरिमा इन्टरनेशनल, 6. मैसर्स स्वाति इन्टरप्राइजेज, 7. मैसर्स कटारिया इन्टरप्राइजेज, 8. मैसर्स जागृति इन्टरप्राइजेज, 9. मैसर्स जे0पी पेपर्स; दिल्ली से माल ना खरीद करके केवल बिल लिये जाते थे। उपरोक्त सभी फर्मों के बिल राजेश डुडानी द्वारा दिये जाते थे

तथा मेरे द्वारा आनलाईन पैमेंट किया जाता था तथा कमीशन काटकर डुडानी द्वारा मुझे शेष K राशि केश के रूप में दी जाती थी।

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के बयान के अनुसार – उसके द्वारा सभी उपरोक्त 6 फर्म उसके द्वारा चलायी जाती है तथा निम्न फर्मों से 1. गरिमा इन्टरप्राइजेज 2. कुमार इन्टरप्राइजेज 3. स्वाति इन्टरप्राइजेज 4. रमन ट्रेडिंग 5. खुशी ट्रेडिंग 6. गंगा इन्टरप्राइजेज 7. सूर्याचल फर्नीटेक, 8. दून ट्रेडिंग कम्पनी; से वास्तविक खरीद नहीं हुई है और न ही कभी कोई सेल परचेज हुई है। आइ.टी.सी क्लेम करने के लिये फर्जी बिल प्राप्त किये गये। उपरोक्त फर्मों के फर्जी बिल /इनवाईस हमें राजेश डुडानी द्वारा प्रोवाईड कराये गये।

62. उक्त संविवाद के अग्रसरण में यह भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह तथ्य भी आया, कि दिल्ली व हरियाणा के फर्मों के प्रोपराईटर को जी0एस0टी के प्रावधानों के अनुसार बयानों के लिये समन जारी किये गये। जो पत्रावलित बन्डल S हैं। जिसे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-20 से साबित किया।

63. वहीं पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य का स्पष्ट किया, कि सभी अन्य फर्मों के स्वामी ने अपने धारा 70 के बयान में स्वीकार किया है कि बैंक से सम्बन्धित सभी भुगतान; अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा देखा जाता है। बयान मौखिक बताया, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। आगे इस साक्षी ने इस तथ्य को स्पष्टीकृत किया कि ओमप्रकाश नैथानी से जांच; दिनांक 01/04/2022 को टीम द्वारा की गयी, जिसमें वह मौजूद नहीं था वरन सी. आई.यू. टीम से विनय पाण्डेय डिप्टी कमिशनर (पी0डब्ल्यू02) व अन्य अधिकारी गये थे। मैसर्स पी0एस0 इन्टरप्राइजेज में एकाउन्टेट काजल चौहान का बयान लिया गया जिसने बताया कि वह एकाउन्टेट के पद पर नियुक्त है।

64. प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान से उसकी प्रति परीक्षा में निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्न भी पूछा गया, कि:-

प्रश्न:— क्या पी.एस. इंटरप्राइजेज में ओमप्रकाश नैथानी एच.आर. के पद पर नियुक्त है वह अपने से सम्बन्धित जानकारी का दायित्व रखता है अन्य किसी दायित्व में उसके बयान मान्य है या नहीं?

उत्तर:— यदि उसके पास कोई जानकारी है तो सभी मान्य है। दस्तावेजों के आधार पर मान्य हो सकती है।

65. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने तो अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि यू0के0जी0एस0टी की धारा 70 के अन्तर्गत प्रोपर ऑफिसर को, किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति के पास कोई जानकारी, साक्ष्य, इत्यादि है तो; वह, उस व्यक्ति को इस हेतु समन करने का अधिकारी है। अभियुक्त सुरेन्द्र को उसके द्वारा धारा 70 का समन भेजा था, समन करने से पूर्व उसकी एक फर्म पी.एस.डी. पैकेजिंग एण्ड एलाईड सर्विसेस के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया था, उसके रिटर्न में पायी अनियमिता के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया, जिसके अनुपालन में उसके द्वारा धनराशि लगभग बीस-पच्चीस लाख रूपये की धनराशि जमा की गई।

66. पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय की प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 द0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र को धारा 70 का नोटिस इनका बयान लिखने के लिये, डिप्टी कमिश्नर धर्मेन्द्र राज चौहान हरिद्वार (पी0डब्ल्यू01) के कार्यालय में दिया और उसका बयान दिनांक 01/04/2022 को लिया गया था। धारा 70 के अधीन अभियुक्त को जिस व्यक्ति को समन किया गया है उसको कितने दिन का समय दिया जायेगा इसका प्रावधान एक्ट में नहीं है। दिनांक 01/04/2022 से पूर्व जांच की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस साक्षी के अनुसार तो, जब वह लोग फर्म के एकाउन्ट सैक्शन में गये तो वहां पर उन्हें काजल चौहान, एकाउन्टेट, ओमप्रकाश नैथानी, विकास चौहान मिले थे, उन्होंने अभिलेख पढे हुये देखे। विवेक अग्रवाल का सम्बन्ध अभियुक्त सुरेन्द्र की फर्मों से नहीं है।

67. पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त द्वारा संचालित फर्म के व्यापार स्थल; मै0 पी.एस. इंटरप्राइजेज में ओमप्रकाश नैथानी एच0आर0 के बयान प्रदर्श पी-13 उसके सामने हुए। क्योंकि रेड वाले दिन संचालित फर्म एस.एस.एस. इंटरप्राइजेज का व्यापार स्थल भी वही स्थान पाया गया जो कि मै0 पी.एस.इंटरप्राइजेज का था।

उसने बतौर सी.आई.यू.टी.म के सदस्य के रूप में कुछ गवाहों के बयान यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ऑन स्पॉट लिये गये। वहीं इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में भी इस तथ्य को स्पष्ट किया कि उसके द्वारा रेड के दिन धारा 70 में विकास एकाउन्टेड के बयान सुरित मेटल व पी.एस. इन्टरप्राइजेज के पंजीकृत कार्यालय में दर्ज किये गये।

68. यद्यपि यह सही है कि यदि ऐसे किसी साक्षी की, जो अभियोजन मामले के आवश्यक भाग को प्रकट करता, जिसे मामले में सम्मुख नहीं लाया गया, यदि वह उपलब्ध है, फिर भी परीक्षा नहीं की गयी है, तो इसे अभियोजन मामले में कुछ कमी सृजित करना कहा जा सकता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को अभियोजन के द्वारा साक्षी न बनाने का चुनाव करना, यह तथ्यात्मक स्थिति; मात्र इस आधार पर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के महत्व को पूर्णतः नकारने व त्याग करने का कोई गणितीय नियम उपलब्ध नहीं कराती है और यदि ऐसा कोई नियत होता तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 134 का प्रावधान न होता जो यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

69. इस प्रकार राज्य कर के उक्त प्राधिकारीगण के द्वारा, पूर्वोक्त वर्णित व्यक्तियों के बयान अंतर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपबंधानुसार; व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति के अधीन अभिलिखित किये हैं। अतः वर्तमान मामले में राज्य कर विभाग के से परे ऐसे संबंधित किसी व्यक्ति को परीक्षित न कराने से ही अभियोजन के मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि यदि ऐसे किसी व्यक्ति को परीक्षित करा भी दिया जाता, तो भी यह मामले में पहले से ही आये साक्ष्य का द्विगुणीकरण और पुनरावृत्ति स्वरूप ही होता। अतः ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रतिरक्षा-पक्ष के उक्त तर्क में कोई सार नहीं पाता है।

70. अग्रेतर प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा अभियोजन कथानक को यह तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत किया गया कि अभियोजन इस तथ्य को स्थापित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त की दर्शायी गयी कथित 22 फर्म उसी से संबंधित है और उसके द्वारा ही कथित फर्मों का लेन-देने किया जाता रहा हो। अभियुक्त पर रूपया 17.01 करोड़ के कथित फर्जी आई.टी.सी. का दायित्व अभियोजन के द्वारा

गलत ढंग से दर्शाया गया है। अभियोजन साक्षीगण तो इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ई-वे बिल टोल प्लाजा से कब जुड़ा था और मामले में तो दिनांक 01/04/2022 से 05/04/2022 की अवधि में सुरेन्द्र के विषय में कोई जांच की ही नहीं गयी। अभियुक्त की फर्मों का रिटर्न का टर्नओवर और सालाना जमा होने वाला टैक्स का साक्षीगण को ध्यान ही नहीं है। अतः उक्त कारणों से अभियोजन का मामला संदिग्ध है।

71. वहीं प्रतिरक्षा-पक्ष के द्वारा अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त की फर्मों से माल का कोई आदान-प्रदान ही नहीं हुआ। कितने ई-वे-बिल में कितने वाहनों की जांच की गई इस तथ्य को अभियोजन के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। यह तथ्य भी साबित नहीं है कि अभियुक्त से संबंधित आई.टी.सी. की जांच वास्तविक रूप से किसके द्वारा की गयी। उक्त तथ्य को अभियोजन के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन का मामला पूर्णतः संदिग्ध है। जिसका अभियुक्त लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने का अधिकारी है। अतः उसे दोषमुक्त किया जाये।

72. अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के द्वारा अपनी फर्म को यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट के तहत मैन पावर सप्लाय के लिये होना अभिकथित किया है, जबकि विभाग के द्वारा की गयी जांच कार्यवाही में पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा एक ही मोबाईल नंबर का प्रयोग, एक ही आई.पी.एड्रेस से मिथ्या आई.टी.सी. से पास आन किया गया और ई-वे बिल में जो माल की आवाजाही, कतिपय वाहनों से दर्शायी है ऐसे किसी माल को उसने भेजा ही नहीं है और फर्जी आई.टी.सी. सरकार से क्लेम की गयी। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह व राजेश डुडानी दोनों 17.01 करोड़ की आई.टी.सी लगभग 22 फर्मों से फर्जी फर्मों के वैरिफिकेशन के लिये सम्बन्धित विभाग एवं राज्यों को, कमिशनर राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड ने पत्र लिखे और उनसे यह पाया गया कि इनके द्वारा कर अपवंचन किया गया है।

73. अभियोजन की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि जो दस्तावेज अभियुक्त के व्यापार स्थल से अभिग्रहीत किये गये वह उसके द्वारा वर्तमान मामले का अपराध कारित करना स्पष्ट करते हैं। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के फर्मों से सम्बन्धित बैंक खाते की जांच में पाया गया कि उसने 17.01 करोड़ रुपये

का कर अपवंचन किया है और मामले की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि माल को बिना भेजे जिन फर्मों से माल की को प्राप्त करना दर्शाया गया है वह फर्म फर्जी है और किसी फर्म का तो अस्तित्व भी नहीं है तथा ऐसी कथित फर्मों के पास तो क्रेडिट भी उपलब्ध नहीं था और जिनको दर्शित किया गया वह फर्जी व केन्सिल फर्मों से आया हुआ था। इस प्रकार अभियोजन का कथानक ठोस साक्ष्यों के आधार पर आधारित है और उसके द्वारा उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अभियुक्त की मामले में संलिप्तता संदेह से परे स्थापित होती है। अतः अभियुक्त को दंडित किया जाये।

74. उभयपक्षों के उक्त तर्कों के संदर्भ में यदि विधिक स्थिति को आंकलित किया जाए तो यहां यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट की धारा धारा 2 (32), धारा 2 (33), धारा 2 (59), धारा 2 (61), धारा 2 (66) धारा 2 (102) को संदर्भ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह निम्नवत पठनीय है:—

धारा 2 (32) "माल की निरंतर पूर्ति" से माल की ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध करायी जाये या उपलब्ध कराने के लिये करार पाई जाये और जिसके लिये नियमित या आवधिक आधार पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता के लिये बीजक बनाता है और इसके अन्तर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है।

धारा 2 (33) "सेवाओं की निरंतर पूर्ति" से सेवाओं की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिये निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध करायी जाये या उपलब्ध कराने के लिये करार पायी जाये और इसके अन्तर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है।

धारा 2 (59) "इनपुट" से काराबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने के लिये आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है।

धारा 2 (61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की

प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र सम्बन्धी कर के प्रत्यय का विवरण करने के प्रयोजनों के लिये कोई विहित दस्तावेज जारी करता है,

धारा 2 (66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है।

धारा 2 (102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिये पृथक प्रतिफल प्रभारित हो, सम्मिलित से सम्बन्धित क्रियाकलाप हैं।

75. उक्त संविवाद के संबंध में तो यह भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य का प्रकटन किया कि कैसे धारा 61 यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत टैक्स पेमेन्ट की स्कूटनी करने पर पाया गया कि कुछ फर्मों द्वारा पूर्व में टैक्स कॅश भुगतान से किया जाता था लेकिन बाद में फर्मों द्वारा धोखाधड़ी कर कुछ राज्यों की फर्मों के नैक्सस द्वारा इंपुट टैक्स क्रेडिट आई.टी.सी. लाभ लेते हुए टैक्स को नकद भुगतान के स्थान पर आई.टी.सी. से जमा किया गया।

76. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान के अनुसार तो अभियुक्त से संबंधित फर्म मैन पावर सप्लाइ के लिये पंजीकृत है जो इनके द्वारा इनवर्ड एवं आउटवर्ड सप्लाइ आयरन, प्लाइबुड इत्यादि घोषित की गई। इनवर्ड सप्लाइ दिल्ली में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड की फर्मों से लिया जाना दर्शाया गया तथा आउटवर्ड सप्लाइ दिल्ली, पंजाब, हरियाण, महाराष्ट्र एवं उत्तराखण्ड की फर्मों को करना घोषित किया गया। इन तथ्यों की संपुष्टि पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्लू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल व पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा के द्वारा अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में की है।

77. अभियोजन कथानक की कड़ी को जोड़ते हुए पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में तथ्यों को ब्यौरवार वर्णित करते हुए यह साक्ष्य दिया, कि सभी जी0एस0टी0आर0 से सम्बन्धित कागजात पत्रावलित संलग्नक जेड-1; सफेद कपड़े से बांधा गया है, जिसे साक्षी ने एम0ओ0-1 से और तीन बन्डल; जिनमें जेड-1 बन्डल में 5 बन्डल हैं, जिसमें जी0एस0टी0 आर-3-बी, जी0एस0टी0 आर-2-ए एवं जी0एस0टी0 आर-1 हैं को; पी-3 से साबित किया। वहीं जेड-1 के दूसरे बन्डल के सफेद कपड़े को साक्षी ने एम0ओ0-2 से और उसके 15 बन्डल; जिसमें जी0एस0टी0 आर-3-बी, जी0एस0टी0 आर-2-ए एवं जी0एस0टी0 आर-1 से सम्बन्धित दस्तावेज है को साक्षी ने पी-4 से साबित किया। इसके अतिरिक्त जेड-1 के तीसरे बन्डल के सफेद कपड़े को एम0ओ0-3 और उसके 12 बन्डल जी0एस0टी0 आर-3-बी, जी0एस0टी0 आर-2-ए एवं जी0एस0टी0 आर-1 को पी-5 से साबित किया। आगे इस साक्षी ने उक्त प्रस्तुत दस्तावेज जो एक टीन के बक्से में रखे हैं, जिस पर ताला लगा हुआ है को एम0ओ0-4, ताला को एम0ओ0-5 व तीनों चाबियों पर एम0ओ0-6 लगायात एम0ओ0-8 से साबित किया गया।

78. वहीं पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में उक्त तथ्यों की संपुष्टि करते हुए यह भी साक्ष्य दिया कि ई-वे बिल की जांच करने पर पाया कि श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा माल की वास्तविक सप्लाई प्राप्त किये बिना ही फर्जी बिलों के आधार पर इनपुट का लाभ लिया गया है। इसके बाद अभियुक्त की फर्मों के द्वारा दाखिल किये रिटर्न की स्कुटनी करने पर पाया, कि उनके द्वारा अपनी वास्तविक कर देयता को कम करने के लिये फर्जी बिलों से खरीद दर्शायी है।

79. अभियोजन कथानक को अतिरिक्त मजबूती तब प्राप्त होती है जब पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 में यह साक्ष्य देता है, कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों से सम्बन्धित रिटर्नस की जांच करने पर पाया गया कि यह फर्म जो पहले नकद के द्वारा टैक्स जमा करती थी उनके द्वारा नकद से जमा कर को घटाकर अपनी सारी कर देयता इनपुट क्रेडिट से सेट ऑफ की जा रही है। इससे आगे जांच करने पर यह पाया गया कि यह फर्म दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों से माल की खरीद दर्शाकर इनपुट क्रेडिट का लाभ ले रही है। जबकि ई-वे-बिल के विश्लेषण से पता चला कि यह माल वास्तव में यहां नहीं आता है। जिससे ये विश्वास करने

का कारण बनता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों में माल की वास्तविक खरीद किये बिना ही इनपुट क्रेडिट लाभ के लिये केवल बिल लिये जा रहे हैं। इस आधार पर अग्रेतर जांच की गयी।

80. आगे पी0डब्लू02 विनय कुमार पाण्डेय ने तो अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य की भी संपुष्टि की, कि उपरोक्त धाराओं के तहत जांच सी.आई.यू. देहरादून के द्वारा की गई थी। उसके द्वारा रिटर्न विश्लेषण, बैंक खाता विश्लेषण किया गया। अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जी.एस.टी.आर., जी.एस.टी.आर.2ए, जी.एस.टी.आर.3बी के दस्तावेज दाखिल किये गये जो कि प्रदर्शित कराये जा चुके हैं। उसके द्वारा जी.एस.टी.आर.1 के फर्जी इनपुट क्रेडिट की जांच की गई है। अभियुक्त सुरेन्द्र का मुख्य काम *मैन पावर सप्लाय* की सेवा देना है।

81. उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65—क प्रावधानित करती है, कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं को, धारा 65ख के उपबंधानुसार ही साबित किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह स्थापित सिद्धांत है, कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कोई सूचना; जो कागज पर अभिलिखित है और कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न; प्रकाशीय या चुम्बकीय माध्यम में भण्डारित, लिखित या नकल की गयी है; दस्तावेज मानी जायेगी। जो द्वितीयक साक्ष्य हो सकेगा, तो इसे ऐसी मूल की अंतर्वस्तु या किसी तथ्य का, साक्षिक मूल्य; तब ही होगा, जब धारा 65—ख (2) (क) में वर्णित शर्तों का समाधान कर दिया जाता है और ऐसा द्वितीयक साक्ष्य, धारा 65बी (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण—पत्र के बिना ग्राह्य नहीं होगा।

82. उक्त संबंध में यहां यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट की धारा 145 का संदर्भ दिया जाना न्यायोचित होगा; जो दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कंप्यूटर प्रिंटआउट की माईक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान करती है, यह निम्नवत पठनीय है:—

धारा 145— दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की माईक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता—तत्समयप्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये—

(क) ऐसे माईक्रोफिल्स में लगी हुई छाया या छायाओं के पुर्नउत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्स (चाहे वह बडी हो अथवा नहीं), या

- (ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति, या
- (ग) किसी दस्तावेज में अर्न्तविष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाये, या
- (घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्ड प्रतियां भी शामिल है, को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिये एक दस्तावेज के रूप में समझा जायेगा और उसके अधीन किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा, जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।
- (2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र—
- (क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है, जिसमें कथन अर्न्तविष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है, जिसमें इसे लिया गया है,
- (ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिये समुचित हो कि दस्तावेज किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था, प्रमाण पत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामले में पर्याप्त होगा।

83. उक्त संदर्भ में अभियोजन की साक्षिक स्थिति को आंकलित किया जाए तो, पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य को स्पष्टीकृत किया कि प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-5 उक्त दस्तावेज; भारत सरकार के boweb.internal.gst.gov.in पोर्टल से लिये गये हैं। इस सन्दर्भ में धारा 65 (बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र पृथक से दाखिल किया जायेगा। वहीं अभियोजन कथानक की कड़ी को जोड़ते हुए पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल व पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में भारतीय साक्ष्य

अधिनियम की धारा 65 (B) के प्रमाण पत्र को दाखिल किया और इसे प्रदर्श पी-33, प्रदर्श पी-34, प्रदर्श पी-35 और प्रदर्श पी-36 से साबित किया।

84. उक्त संविवाद के अग्रसरण में यह भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को भी स्पष्ट किया, कि विवेचना के दौरान *IP Address (Internet Protocol)* की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह की फर्मों की रिटर्न तथा जिनसे खरीद घोषित की गई की रिटर्न एक ही *IP Address (Internet Protocol)* का प्रयोग हुआ है। अर्थात् एक ही *IP Address* से एक बार में कई फर्मों की रिटर्न दाखिल करने का साक्ष्य मिला। जिससे स्पष्ट होता है कि *परचेज* एवं *सेलर* आपस में मिले हुये हैं। *IP Address* के दस्तावेज सरकारी पोर्टल से निकाले गये हैं जो पत्रावलित बंडल संलग्नक V रूप में दाखिल है। जिसे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-25 से साबित किया।

85. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम ने यह भी कथन किया है कि विवेचना के दौरान *कैश एण्ड क्रेडिट* के दस्तावेज जो सम्बन्धित फर्मों से सम्बन्धित है वह पत्रावलित बंडल संलग्नक F है जो भारत सरकार के पोर्टल से लिये गये। जिसे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-30 से साबित किया।

86. आगे पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि फर्मों से सम्बन्धित *कैश एण्ड क्रेडिट* के दस्तावेज पत्रावलित बंडल F प्रदर्श पी-30 हैं जो भारत सरकार के जी.एस.टी. पोर्टल से लिये गये। यह सभी कागजातों के प्रिन्ट आउट उसके द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल- <http://boweb.internal.gst.gov.on/boservices/login> से निकाले गये हैं।

87. इसी कड़ी को जोड़ते हुए पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को स्पष्टीकृत किया कि मामले की कार्यवाही के दौरान, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह की; "फर्मों की रिटर्न" तथा "जिनसे खरीद घोषित की गई" की रिटर्न में एक ही *IP Address (Internet Protocol)* का प्रयोग एक बार में कई फर्मों की रिटर्न दाखिल करने का साक्ष्य मिला। जिससे स्पष्ट होता है कि *परचेजर* एवं *सेलर* आपस में मिले हुये हैं। *IP Address* के

दस्तावेज सरकारी पोर्टल से निकाले गये है जो पत्रावितल बन्डल संलग्नक V प्रदर्श पी-25 के रूप में हैं। उक्त सभी कागजातों के प्रिन्ट आउट उसके द्वारा जी.एस.टी.पोर्टल -<http://boweb.internal.gst.gov.on/boservices/login> से *get IP Audit trail report* से निकाले गये हैं।

88. पी0डब्लू05 सुश्री ईशा, ने तो अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य की पुष्टि की, कि उसके द्वारा *रिटर्न फाईल रिलेटेड IP Address* को पोर्टल से निकाला गया। उसके द्वारा, दौराने जांच सिर्फ *IP Address* के सम्बन्ध में जांच की। आगे इस साक्षी ने तो इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि *जी.एस.टी.एन.* द्वारा जो ऑफिसर के लिये *बैंक ऑफिस पोर्टल* बनाया गया है उस पर एक *गेट आई.पी. ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट* उपलब्ध होती है। उस रिपोर्ट से *IP Address* निकाला जाता है। इसी रिपोर्ट से *IP Address* निकाला गया था। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह की फर्मों तथा दूसरी फर्मों से जो *इनवार्ड सप्लाई* बताई गयी थी, उन कुछ फर्मों का *IP Address* सामान था। उसे, उन फर्मों का नाम याद नहीं है; पत्रावली पर दाखिल है।

89. उल्लेखनीय है कि किसी दस्तावेज में प्रविष्टियों की प्रमाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि किसकी सूचना पर ऐसी प्रविष्टियों को अभिलिखित किया गया और सूचना का स्रोत क्या था। वर्तमान मामले में अभियोजन यह स्थापित कर पाने में समर्थ रहा है कि उसके द्वारा अभियुक्त से संबंधित जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिनके आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपनी फर्म से संबंधित लेन-देने का ब्यौरा दर्शाया गया है, इन दस्तावेजों की प्राप्ति के स्रोत के संबंध में तथ्य स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं और यह अभियुक्त के वर्तमान मामले का अपराध कारित किये जाने के तथ्य को और मजबूती प्रदान करते हैं।

90. उक्त संविवाद के अग्रसरण में यह भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्लू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को स्पष्टीकृत किया कि विवेचना से अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह व उसके परिवार के रिश्तेदारों के नाम से कुछ फर्म पंजीकृत होना ज्ञात हुआ। यथा; 1- *SS Enterprises*, 2- *PS Enterprises*, 3- *P.S.D. Packaging Service*, 4- *Deepak Enterprises*, 5- *S.S.S. Enterprises*, 6- *Sureet Metals* इनमें कॉमन मोबाईल नंबर व ई-मेल का प्रयोग; ई-वे बिल बनाने के लिये किया गया है। उक्त फर्मों को अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह ही ऑपरेट करता है।

91. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने तो यह भी कथन किया कि अभियुक्त के द्वारा इन फर्मों को *मैन पावर सप्लाय* के लिये पंजीकृत कराया गया, जबकि *सेल एव परचेज; आयरन, प्लाईबुड* इत्यादि की दर्शायी गयी है। पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान के अनुसार तो, उपरोक्त 6 फर्मों के पंजीकृत दस्तावेज सरकारी पोर्टल द्वारा प्रिन्ट आउट लिये गये जिसे उसने प्रदर्श पी-6 से साबित किया और पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम और पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के परिसाक्ष्य से उक्त तथ्यों की संपुष्टि की।

92. वहीं पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने तो अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 में भी इस तथ्य की पुष्टि की, कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्म का रजिस्ट्रेशन देखा गया था जो ऑनलाईन उपलब्ध है। उसने मौके पर फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज देखे थे। पी0एस0 इन्टरप्राइजेज के जो रजिस्ट्रेशन के नम्बर जो बिल देखे। यह फर्म पी0एस0 इन्टरप्राइजेज अस्तित्व में हैं। परिवाद पत्र में इनके द्वारा दाखिल किये विवरण पत्रों का विश्लेषण किया गया तथा उसके द्वारा रिटर्न की जांच की गई। रिटर्न की *एनालिसिस* परिवाद पत्र में दी गई है।

93. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल व पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा की परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में यह तथ्य भी आया कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा जो आई.टी.सी. लगभग 22 फर्मों से प्राप्त किया गया प्राप्त किया गया वह फर्म उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा में पंजीकृत है। उक्त 22 फर्म एक ही व्यक्ति या एक ही मोबाईल नंबर या एक ही पेन नम्बर पर पंजीकृत हैं। इसमें एक ही ट्रेड नाम व फोन के द्वारा; धोखाधड़ी की फर्म खोल रखी है। इस प्रकार यह फर्जी आई.टी.सी लेने व आगे *पास ऑन* करने के लिये एक *नेक्सस* है।

94. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल व पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा की परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में यह तथ्य भी आया कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा ऑपरेट की जा रही फर्मों द्वारा जिन 9 फर्मों को सेल किया गया उन फर्मों के रजिस्ट्रेशन में भी *सेम ई-मेल आई.डी./पेन नम्बर व मोबाईल नम्बर*

का प्रयोग किया गया तथा सेम फर्म से सेल एण्ड परचेज की किया गया। जिन 22 फर्मों से आई.टी.सी. लिया गया उन फर्मों के रजिस्ट्रेशन डिटेल पत्रावली पर संलग्नक G को पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, ने प्रदर्श पी-8 से, H को प्रदर्श पी-9 से, I को प्रदर्श पी-9 से, J को प्रदर्श पी-10 से साबित किया और कथन किया कि इन्हें सरकारी पोर्टल से लिया गया है।

95. पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय ने अपनी प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक के समर्थन में ही तथ्यों को ब्यौरेवार वर्णित करते हुए यह कथन किया, कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के जी.एस.टी.आर. 2ए में ऑटो पापुलेटड आई.टी.सी. का सत्यापन करने पर पाया गया कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों में रूपये 17.01 करोड़ की इनपुट क्रेडिट का अनुचित लाभ लिया गया। यह फर्म 22 हैं जो अलग-अलग लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। इन 22 फर्मों में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह नाम पर कोई रजिस्टर्ड नहीं है। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के नाम पी0एस0 इन्टरप्राइजेज फर्म है इसके अलावा पी.एस.डी. पैकेजिंग में यह डायरेक्टर है, कुल 3 फर्म है।

96. अभियोजन के कथानक की कड़ी को जोड़ते हुए पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में इस तथ्य को वर्णित किया, कि सुरेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं संचालित फर्मों को आउडवार्ड सप्लाय दिखाते हुये आई.टी.सी पास आन की गई। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा; PSD Packaging उड़ीसा में तथा PSD Packaging उत्तराखण्ड में रजिस्टर्ड की है; एक ही पेन नंबर AAHCP75878 पर पंजीकृत कराई गई है। उड़ीसा की फर्म द्वारा भी उन्हीं फर्मों से खरीद घोषित की गई है जो अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों द्वारा घोषित की गई है।

97. आगे अभियुक्त के कुटिल आशय का प्रकटन तो पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह साक्ष्य देते हुए किया, कि विवेचना में पाया गया कि ई-वे बिल में जो माल की आवाजाही दर्शायी गई है, इन वाहन को दिल्ली व उत्तराखण्ड के टोल प्लाजा से कासिंग का कोई साक्ष्य नहीं है तथा किसी समय पर वाहन दूसरे रूट पर था उसके साक्ष्य पत्रावली पर संलग्नक K है जो सरकारी पोर्टल से जिसे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-11 से साबित किया। आगे

पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने यह भी कथन किया कि विवेचना में व्यापार स्थल पर धारा 67 जी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत सर्च सीजर की कार्यवाही पर निम्नवत तथ्य ज्ञात हुआ :-

1	SSS Enterprises	Non Existent
2	PS Enterprises,	Existent
3	P.S.D. Packaging Service,	Existent
4	Deepak Interprises	Non Existent
5	S.S.S. Enterprises,	Non functional
6	Sureet Metals	Existent

98. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने तो यह भी स्पष्ट किया कि उपरोक्त सभी फर्मों के पंचनामे तथा ऑथराईजेशन फॉर सर्च के दस्तावेज पत्रावली पर संलग्नक L है जिसे साक्षी ने प्रदर्श पी-12 से साबित किया। उक्त तथ्यों की पुष्टि पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय, ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में की है।

99. वहीं पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान की प्रति परीक्षा के अनुसार तो, ई-वे बिल जी0एस0टी0 के अन्तर्गत माल के परिवहन के लिये आवश्यक है उसका इस्तेमाल माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये रोड परमिट के रूप में किया जाता है। यह जो ई-वे बिल का प्रावधान जी0एस0टी0 के अन्तर्गत 2018 से प्रारम्भ हुआ। माल की आवाजाही के संबंध में जो भी आवाजाही हुई है ई-वे बिल की जानकारी 2018 के बाद पूर्णरूप से हो सकती है। वहीं पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय की प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, ई-वे-बिल से टोल प्लाजा से 2021 से कनेक्ट हुआ है। ई-वे-बिल 01/10/2018 से लागू हुआ है।

100. पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय ने तो अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट किया कि ई-वे-बिल एम.आई.एस. तथा एनालिटिक्स, जी.एस.टी.पोर्टल की लॉगिन आई.डी. सरकार द्वारा उसे दी गई है जिसके द्वारा उसने जांच की है। वहीं पी0डब्ल्यू03 टीकाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट किया कि ई-वे-बिल एक रोड परमिट है, उसका प्रयोग माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये किया जाता है। ई-वे-बिल को

ऑनलाईन माल को सप्लाई करने वाला व माल को खरीदने वाला रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

101. पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र से सम्बन्धित छः फर्मों की जांच की गई, जिसमें से उसके नाम पर पी0एस0 इन्टरप्राइजेज एवं पी.एस.डी. पैकेजिंग पंजीकृत थी। उसके द्वारा जब छः फर्मों की स्कूटनी की गई प्रथमदृष्टया आठ करोड़ रुपये की आई.टी.सी. बोगस पायी गई। उसके पश्चात् रेड होने के उपरान्त परिवाद दाखिल होने तक यह आठ करोड़ की राशि सत्रह करोड़ तक पहुंच गई; यह जांच आठ करोड़ की जांच मार्च माह के अन्तिम सप्ताह तक स्कूटनी की गई तो ज्ञात हुई। उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र पर आठ करोड़ की स्कूटनी पर जो आई.टी.सी. दिखाई उसमें उसके द्वारा राजेश डुडानी व अन्य फर्मों की फर्जी बिलों को जोड़ा गया है।

102. पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा लगभग सत्रह करोड़ के फर्जी आई.टी.सी. को अपने क्रेडिट लेजर में लिया गया। उसके द्वारा फर्म की स्कूटनी के अलावा फर्म के लेजर व क्रेडिट लेजर की भी जांच गई और राज्य के बाहर पंजीकृत फर्मों की रजिस्ट्रेशन डिटेल की भी जांच की गई। उसे उक्त वाद उपरोक्त की पूरे प्रकरण की जानकारी है। अभियुक्त सुरेन्द्र के द्वारा लगभग 21 फर्मों से सीधे तौर पर बोगस आई.टी.सी. रिसीव की गई। अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा इन फर्मों को आउटपुट नहीं दिया गया। उसके द्वारा 22 फर्मों से स्कूटनी के समय लगभग 12-13 फर्मों की जांच की गई। उसके द्वारा इन फर्मों के जी.एस.टी. नम्बर की जांच भी की गई। जिसमें प्रथमदृष्टया फर्मों द्वारा प्रदान किया गया इनपुट बोगस पाया गया। उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र के नाम पर पंजीकृत दोनों फर्मों की स्कूटनी की गई। ई-बे बिल की प्राथमिक जांच उसके द्वारा की गई, उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा संचालित एक फर्म की जांच रेड वाले दिन की गई।

103. पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल की प्रति परीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, उसकी मुख्य परीक्षा के पैरा नंबर 6 के अनुसार अभियुक्त द्वारा ऐसी आई.टी.सी. को अपने क्रेडिट लेजर में लिया गया। जो कि अनुमन्य नहीं थी एवं इसी आई.टी.सी. में से कुछ आई.टी.सी. का प्रयोग अपनी वास्तविक कर

देयता; जो कि इसे नकद में जमा करनी थी, के लिये किया गया और शेष *आई. टी.सी. बोगस सप्लाई* दर्शाते हुये *इनपुट* हरियाणा व पंजाब की फर्मों को *पास आन* किया गया।

104. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान, पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल, की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह तथ्य भी आया, कि विवेचना में उन सभी फर्जी फर्मों के सत्यापन के लिये सम्बन्धित विभाग एवं राज्यों को, कमिशनर राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड ने पत्र लिखे व वहां से सत्यापन किया गया तो अधिकतर फर्मों की सर्च व पंचानामे बनाये गये। वहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर फर्म *Non Existent* या *Non Functional* मिली। पत्रावलित में संलग्नक बन्डल N को पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-16 से साबित किया।

105. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल, की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह तथ्य भी आया, कि विवेचना के दौरान, *आउटवर्ड सप्लाई* (विक्रय) एवं *इनवार्ड सप्लाई* (क्रय) से सम्बन्धित दस्तावेज सील किये गये जो अभियुक्त के व्यापार स्थल से अभिग्रहीत किये गये। परन्तु व्यापारी के गेट रजिस्टर में *ई-वे बिल* से घोषित किये गये संव्यवहार दर्ज नहीं पाये गये। अभियुक्त के व्यापार स्थल से जब्त किये गये दस्तावेज पत्रावली के साथ बन्डल संलग्नक R है जो असल के मुताबिक सही है, जिसे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-19 से साबित किया।

106. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में उस तथ्य का भी प्रकटन किया कि कैसे अभियुक्त के द्वारा धनराशि का कर अपवंचन किया गया। इस साक्षीगण के अनुसार तो, विवेचना में सुरेन्द्र सिंह फर्मों से सम्बन्धित बैंक खाते की जांच की गई तो ज्ञात हुआ एकाउन्ट डिटेल में एक फर्म के नाम *डिपोजिट* किया गया जो कि उसी दिन दूसरी फर्म के खाते में *डेबिट* कर लिया गया अर्थात् एक फर्म द्वारा *ट्रांसफर* किया गया *अमाउन्ट*; *चार-पांच* फर्मों के माध्यम से घूमकर फिर उसी खाते में *ट्रांसफर* हो रहा है। बैंक से सभी दस्तावेज विवेचना के दौरान प्राप्त किये गये जो पत्रावलित संलग्नक बंडल X को पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-29 से साबित किया।

107. पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित कुछ फर्मों द्वारा पूर्व में कर का भुगतान कैंस में किया जा रहा था। किन्तु जब रिटर्न फाइलिंग में जून जूलाई 2019 के बाद का भुगतान देखा गया तो यह एकाएक क्रेडिट के रूप में किया गया था और उसके पश्चात् वर्ष 2021-22 तक के कर का भुगतान क्रेडिट जो कि शुरुआत में पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रहा था अचानक आने से प्रकरण में विस्तृत जांच करना अनिवार्य हो गया था।

108. इस प्रकार अभियोजन यह साबित कर पाने में पूर्णतः समर्थ रहा है कि अभियुक्त का प्रारंभ से राज्य सरकार को कर अदा करने का कोई इरादा नहीं था और इसी के चलते उसके द्वारा उक्त युक्तियों को अपनाया गया और जिसमें वह सफल भी रहा। अभियोजन ने तो यह भी स्पष्ट किया कि कैसे अभियुक्त के द्वारा कर अपवंचन के लिये कुटिल युक्ति को अपना गया। क्योंकि पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार तो, माल के मूवमेन्ट की ई-वे बिल के पोर्टल से जांच करने पर पाया गया कि घोषित वाहन से जहां माल को जाना था वहां कोई टोल प्लाजा क्रास ही नहीं किया गया और कुछ वाहन तो माल ढुलाई कर ही नहीं सकते अथवा उनकी क्षमता इतनी नहीं है; जितनी की ई-वे बिल/इन्वॉइस में दर्शायी गयी है।

109. वहीं पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा साक्ष्य 244 दं0प्र0सं0 में उक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह भी साक्ष्य दिया कि कुछ वाहन ऐसे भी थे जो पैसेन्जर वाहन थे जिनसे माल का परिवहन नहीं हो सकता है। इन्हीं तथ्यों की संपुष्टि पी0डब्ल्यू03 टीकाराम के द्वारा भी की गयी।

110. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय, पी0डब्ल्यू03 टीकाराम, पी0डब्ल्यू04 मनमोहन असवाल व पी0डब्ल्यू05 सुश्री ईशा की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 में उस ढंग को वर्णित किया, जिस ढंग से अभियुक्त के द्वारा, बिना माल को सप्लाइ किये, उसको फर्मों द्वारा प्राप्त करना दर्शाया गया। उक्त साक्षीगण के अनुसार तो वह फर्म फर्जी है या वहां किसी फर्म का अस्तित्व ही नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा जी0एस0टी0 आर-3-बी, जी0एस0टी0 आर-2-ए एवं जी0एस0टी0 आर-1 के द्वारा फर्जी बिल/इन्वॉइस से बिना माल सप्लाइ के आई.टी.सी. सरकार से क्लेम किया गया।

111. वहीं पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में उक्त तथ्यों की संपुष्टि करते हुए यह कथन किया कि हमने अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित विभाग को राजस्व चोरी (आई.टी.सी. का अनुचित लाभ) के सम्बन्ध में इनपुट मिले और अभियुक्त और उनके साथियों द्वारा सरकार के राजस्व को फर्जी फर्मों के द्वारा फर्जी बिल/ इनवॉइस के आधार पर बिना माल प्राप्त किये कर अपवंचन किया जा रहा था।

112. आगे पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय व पी0डब्ल्यू03 टीकाराम ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित कुछ फर्मों द्वारा पूर्व में टैक्स के रूप में कैस से टैक्स जमा किया जाता था लेकिन बाद में फर्जी बिलों के आधार पर एक नैक्सस बनाकर इनपुट क्रेडिट का अनुचित लाभ लिया जा रहा था तथा कम कर जमा किया जा रहा था जो कर अपवंचन को परिक्षिलित कर रहा था।

113. पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय की प्रति परीक्षा अंतर्गत 246 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र को फर्जी आई.टी.सी. से बिल आये है उनमें सूर्याचल फर्निटेक, प्राईमा एण्ड कम्पनी, दून टैडिंग कम्पनी, खुशी इन्टरप्राइजेज, गरिमा इन्टरनेशनल, शगुन इन्टरप्राइजेज, कटारिया इन्टरप्राइजेज आदि फर्मों से लिये गये हैं।

114. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार, उक्त फर्मों से वाहनों के द्वारा जो माल की आवाजाही दिखाई गई थी, उनके विषय में विवेचना में सत्यापन करवाने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों से अभिग्रहित अभिलेखों; जिनमें कई बिल के साथ बिल्टी संलग्न थी के बारे में टांसपोर्टर्स; 1. श्री बांके विहारी टांसपोर्ट कम्पनी रूडकी, 2. अनिल टैम्पो टांसपोर्ट सर्विस दिल्ली, 3. जादिया टांसपोर्ट कारपोरेशन दिल्ली, 4. एसएस टांसपोर्ट कम्पनी दिल्ली, 5. खाटूश्याम टांसपोर्ट कम्पनी दिल्ली, 6. बिजन टांसपोर्ट कारपोरेशन दिल्ली, 7. मै0 द्वारिका टैम्पो सर्विस दिल्ली; के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वो बिल्टियां जारी नहीं की गयी, यदि उनके नाम से कोई बिल्टी अभियुक्तगण द्वारा दी गई है या पोर्टल पर डाली गयी है वह नकली है। टांसपोर्टर्स ने अपने लिखित पत्रों में बताया कि जो वाहन संख्या बिल्टियों पर अंकित है वह भी उनके नहीं हैं। पत्रावलित बन्डल दस्तावेज संलग्नक 0 जो मूल

के मुताबिक सही है। जिसे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-17 से साबित किया।

115. आगे पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि विवेचना के दौरान, मामले से संबंधित ई-वे बिल पर वाहन की एन्ट्री को, वाहन पोर्टल *Ministry of Road Transport and Highways Government of India* पर चैक करने पर यह ज्ञात हुआ, कि कुछ वाहन जो माल की आवाजाही के लिये दर्शाये गये हैं, वो उस माल को ढोने में सक्षम ही नहीं थे तथा कुछ वाहन थ्री-व्हीलर, कार व दो पहिया वाहन थे, जिन्हें दिल्ली से उत्तराखण्ड माल ढोने के लिये ई-वे बिल में एन्टर दर्शाया गया था। पोर्टल से लिये गये दस्तावेजों का बन्डल पत्रावलित संलग्नक W को पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-18 से साबित किया।

116. इस तथ्य की पुष्टि पी0डब्लू03 टीकाराम, पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल के द्वारा अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में की गई है। इन साक्षीगण के परिसाक्ष्य में तो यह भी तथ्य आया कि माल के मूवमेन्ट की ई-वे बिल के पोर्टल से जांच करने पर पाया गया कि माल के परिवहन में जो वाहन नम्बर घोषित है उनमें से अधिकतर नम्बर एक ही आर.टी.ओ. कार्यालय में पंजीकृत पाये गये। वाहन से जहां माल को जाना था वहां कोई टोल प्लाजा कास नहीं किया गया। कुछ वाहन ऐसे भी थे जो पैसेन्जर वाहन थे जिनसे माल का परिवहन नहीं हो सकता है।

117. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों द्वारा नौ फर्म को *आउटडोर सप्लाय* घोषित किया गया, उनमें से दो फर्म; मैसर्स प्राईमा एण्ड कम्पनी प्रोपाराईटर, प्रियंका डुडानी तथा मैसर्स सूर्याचल; प्रोपाराईटर राजेश डुडानी के नाम की हैं। जांच पर पाया गया कि जिन वाहनों से माल की मूवमेन्ट दर्शायी गयी उस *प्रेमाईशिश* में उक्त प्रकार के कमर्शियल वाहन नहीं जा सकते। *प्रेमाईशिश* के अध्यक्ष के द्वारा यह बताया गया कि इस *प्रेमाईशिश* में *कमर्शियल एक्टिविटी* की कोई अनुमति नहीं है। उपरोक्त फर्म की जांच रिपोर्ट पत्रावलित बन्डल संलग्नक T को पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने प्रदर्श पी-21 से साबित किया।

118. वहीं पी0डब्लू03 टीकाराम की प्रति परीक्षा अनुसार, उसने, अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों की *इनवर्ड सप्लार्ई* के आधार पर जांच की है न कि राजेश डुडानी के द्वारा दिये गये बिल के आधार पर। वह दिनांक 01/04/2022 से पूर्व लगभग एक दो महिने पहले से जांच कर रहा था। जिसकी अनुमति उसे किसी ने नहीं दी।

119. आगे पी0डब्लू03 टीकाराम ने अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक की कड़ी को जोड़ने हुए इस तथ्य को भी और अधिक स्पष्ट किया कि उसने बतौर *सी.आई.यू. टीम* के सदस्य होते हुए इस मामले की कार्यवाही में सहयोग किया। उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों के माल के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की डिटेल; आयुक्त परिवहन कार्यालय द्वारा प्रदत्त *Log in ID* जो श्री अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर मुख्यालय के नाम से आवंटित है की पूर्वानुमति से *vahan.nic.in* साईट से वाहनों की डिटेल निकाली गयी।

120. वहीं पी0डब्लू03 टीकाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य की पुष्टि की, कि उसके बयान के पैरा नंबर 2 में वाहन सम्बन्धी ई-वे-बिल में अंकित वाहनों की जांच गई। उसके द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के द्वारा संचालित फर्मों की *इनवर्ड सप्लार्ई* से सम्बन्धित *ई-वे-बिलों* में जो वाहन नम्बर अंकित किये गये थे उनकी जांच; आयुक्त परिवहन द्वारा प्रदत्त *ID vahan.nic.in* में *Log in* करके की गई थी। यह जांच उसके द्वारा दिनांक 01/04/2022 से पहले की गई थी।

121. आगे पी0डब्लू03 टीकाराम की प्रति परीक्षा में तो यह तथ्य भी आया कि उसके द्वारा वाहन सम्बन्धी जांच केवल पोर्टल पर *ऑनलाईन* की भौतिक रूप से नहीं गई, उसमें वाहन के पंजीकृत स्वामी के नाम तथा उसकी प्रकृति प्रदर्शित होती है, फर्मों के मालिकों के नाम प्रदर्शित नहीं होते हैं। उसके द्वारा पी.एस. इन्टरप्राइजेज, पी.एस.वी. इन्टरप्राइजेज, सूरित मेटल, एस.एस.एस. इन्टरप्राइजेज, एस.एस.एस. इन्टरप्राइजेज व दीपक इन्टरप्राइजेज के *इनवर्ड सप्लार्ई* में प्रयुक्त वाहनों की व ई-वे-बिल में अंकित वाहनों की जांच की गई है।

122. इस तथ्य की पुष्टि पी0डब्लू04 मनमोहन असवाल के द्वारा अपनी परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 में यह साक्ष्य देते हुए की गयी, कि जब मेरे द्वा

द्वारा *National Informatics Center (NIC)* के द्वारा विभाग को दिये गये बेव-पोर्टल <http://mis.ewaybillgst.gov.in/login.aspx> पर ई-वे बिल ने प्रयोग हो रहे वाहनों की लोकेशन; उन ई-वे बिल की तिथियों में देखी गई तो यह प्रकाश में आया कि उन तिथियों में तो वाहन अन्य प्रदेशों के टोल प्लाजा को कास कर रहे थे। जिससे यह ज्ञात हुआ कि उक्त वाहनों का फर्जी ई-वे बिल बनाने में प्रयोग हुआ है। आगे केस की कार्यवाही में पाया गया कि ई-वे बिल में जो माल की आवाजाही दर्शायी गई है इन वाहन को दिल्ली व उत्तराखण्ड के टोल प्लाजा से कासिंग का कोई साक्ष्य नहीं है तथा किसी समय पर वाहन दूसरे रूट पर था उसके साक्षी पत्रावली पर संलग्नक K है जो सरकारी पोर्टल से निकाला गया है जिस दस्तावेज K पर पूर्व प्रदर्श में प्रदर्शित है। इस साक्षी के अनुसार तो, भिन्न-भिन्न पेन नम्बरों पर जो फर्मे पंजीकृत थी उनकी भी डिटेल निकाली गयी जिससे कि एक फर्जी क्रेडिट पास ऑन करने वाला नेक्सस उभर कर आया।

123. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा इस तथ्य को भी साबित किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कर अपवंचन करने के क्रम में ऐसे वाहनों से कथित माल के परिवहन को दर्शित किया गया जो वाहन ऐसा करने के लिये समर्थ ही नहीं थे या फिर अस्तित्व में ही नहीं थे। इस प्रकार पूर्वोक्त वर्णित स्थिति से, मामले की पश्चातवर्ती घटनाओं की पुष्टि होती है जो यह स्पष्ट करती है कि अभियुक्त के द्वारा कर अपवंचन करने के लिये अपनाये गये साधन अवैध थे और इसकी पूर्ति करने में उसके द्वारा स्वयं को उसमें नियोजित करने का ढंग पूर्णतः अवैध था; जैसा कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त वर्णित साक्ष्य से स्पष्ट है।

124. इस प्रकार प्रतिरक्षा-पक्ष हस्तगत मामले में ऐसा कोई स्पष्ट वास्तविक कारण दर्शित करने में विफल रहा है, कि उक्त अभियोजन साक्षीगण क्यों अभियुक्त को मिथ्या ढंग से मामले में आलिप्त करेंगे जबकि पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान व पी0डब्ल्यू02 बिनय कुमार पाण्डेय की परीक्षा अंतर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 के अनुसार तो, *Wrongful I.T.C. Avail Pass-On* करने में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह व राजेश डुडानी दोनों ही शामिल हैं और अभियोजन के अनुसार राजेश डुडानी के प्रति पृथक से कार्यवाही की जा रही है; जैसा कि पूर्वोक्त वर्णित है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षीगण के अनुसार, तो उक्त *Wrongful I.T.C. Avail Pass-On* के जरिये 17.01 करोड़ की आई.टी.सी लगभग 22 फर्मों से फर्जी तरीके से प्राप्त कर सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाई गयी।

125. उक्त संबंध में यहां यू0के0जी0एस0टी0 एक्ट की धारा 135 का संदर्भ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह निम्नवत पठनीय है। यथा;

धारा 135 आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान— इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता का अनुमान लगायेगा, लेकिन अभियुक्त के लिये यह तथ्य सिद्ध करने के लिये यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु

(i) “आपराधिक मानसिक दशा” पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य सम्मिलित है,

(ii) एक तथ्य सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जायेगा, जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेह के विश्वास करता है और केवल जब इसकी विद्यमानता प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है।

126. इस प्रकार उक्त धारा 135 जो आपराधिक मानसिक स्थिति की धारणा प्रदान करता है और उसका मुख्य उद्देश्य अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति के रूप में एक अनुमान लगाना है, ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा-पक्ष को ऐसा कोई कारण और अभियोजन के मामले में सभाव्यता की प्रबलता (**Probability of Preponderance**) को दर्शित किया जाना चाहिये था, कि अभियोजन साक्षीगण के पास अभियुक्त को मामले में झूठा आलिप्त करने का कोई वास्तविक कारण विद्यमान था। जबकि उसके द्वारा तो अंतर्गत धारा 247 दं0प्र0सं0 के तहत अपना प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का चुनाव किया किन्तु उसके बाद भी कोई प्रतिरक्षा आरंभ नहीं की।

127. यद्यपि यह सही है कि अपने मामले को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है तथापि जब अभियुक्त की ओर से कोई विशिष्ट कथन किया जाता है तो, यह भार अभियुक्त पर होता है कि वह अभियोजन के मामले में, “संभावना की प्रबलता” को दर्शित करे; जो गुणात्मक रूप से, अभियोजन के द्वारा अपने मामले को साबित करने के भार से कम होता है। ऐसी

स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत प्रतिरक्षा-पक्ष पर यह भार अंतरित होता था, किन्तु प्रतिरक्षा-पक्ष इस संदर्भ में पूर्णतः असफल रहा।

128. उक्त संविवाद के अग्रसरण में यह भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य का प्रकटन किया है कि उपरोक्त सभी साक्ष्यों व तथ्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर जो विवेचना की गई उसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 17.01 करोड़ के फर्जी **ITC avail & Utilization** के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

129. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान ने अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य को स्पष्ट किया, कि 17.01 करोड़ रूपया जो छः फर्मों द्वारा इनपुट क्लेम किया गया है; वह फर्जी इनवॉइसेस के आधार पर किया गया तथा आई.टी.सी. क्लेम करने हेतु जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 16 में उल्लेखित शर्तों को पूरा न करने के कारण देय नहीं है। अभियुक्त ने 17.01 करोड़ रूपये का फर्जी क्लेम दर्शाया गया है, उसकी जांच की गयी; स्कूटनी नहीं की, स्कूटनी का प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत है। 17.01 करोड़ का क्लेम मुख्यतः पिछले तीन-चार वर्ष का है। फर्जी इनवॉइसेस के आदान-प्रदान में सलिप्त होने वाले सभी व्यक्ति दोषी होंगे।

130. वहीं पी0डब्ल्यू02 विनय कुमार पाण्डेय ने तो अपनी प्रति परीक्षा में उक्त तथ्य को और अधिक ब्यौरेवार ढंग से वर्णित किया, कि उनके द्वारा जांच में 17.01 करोड़ रूपये का जो क्लेम अभियुक्त सुरेन्द्र पर दर्शाया है वह सिर्फ फर्जी बिल लेने का है। उसके द्वारा 17.01 करोड़ का जो क्लेम दर्शाया गया है वह केवल इनपुट का है। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा संचालित फर्मों द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल पर दाखिल किये गये जी.एस.टी.आर. 1 के माध्यम से इनके द्वारा आई.टी.सी. सप्लाई किये जाने का पता चलता है। अभियुक्त ने अपनी फर्मों के लिये दूसरी फर्मों से बिल लिये हैं। फर्जी बिल लेने व देने वाले; अपराध की श्रेणी में आते हैं। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह द्वारा सात करोड़ का फर्जी आई.टी.सी. दिया गया है। कुल 17.01 करोड़ की फर्जी आई.टी.सी. से सात करोड़ की फर्जी आई.टी.सी. घटाई नहीं जा सकती है। आई.टी.सी. घटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

131. पी0डब्ल्यू01 धर्मेन्द्र राज चौहान की मुख्य परीक्षा अनुसार, अभियुक्त के कर अपवंचन के तथ्य का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि अभियुक्त की छः फर्मों की खरीद (इनवर्ड सप्लाई) की जांच की गई। जांच पर खरीद फर्जी

फर्मो अथवा जो अस्तित्व में नहीं है; से की गयी। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के धारा 70 के बयान रोशनाबाद कार्यालय में दिनांक 01/04/2022 को समय लगभग शाम को लिये गये थे, जिसमें उसने स्वीकार किया कि ऐसी राशि छः से सात करोड़ जो गलत तरीके के क्लेम की गई, विभिन्न माध्यम जैसे; फर्मो द्वारा, मैन पावर सप्लाई का कार्य किया जाता है। लेकिन फर्मो द्वारा गुडस जैसे; आयरन, स्टील, प्लाईबुड इत्यादि की खरीद करते हुये फर्जी आई.टी.सी. क्लेम की जा रही थी। जिन फर्मो से फर्जी आई.टी.सी. क्लेम की जा रही थी उनकी जांच के लिये कमिश्नर के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था। सम्बन्धित राज्यों के अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसमें अधिकतर फर्म अस्तित्वहीन अथवा ट्रैसेबल नहीं पायी गयी।

132. अतः अभियोजन इस तथ्य को संदेह से परे स्थापित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त के द्वारा, स्वयं की फर्म को मैन पावर सप्लाई के लिये पंजीकृत दर्शाते हुए इसको इनवर्ड एवं आउटवर्ड सप्लाई आयरन, प्लाईबुड इत्यादि घोषित किया गया, किन्तु इससे ऐसा कोई माल, कथित फर्म में भेजा ही नहीं गया और बिना भेजे ही ऐसी कथित फर्म द्वारा माल को प्राप्त करना दर्शाया गया और उसके द्वारा जी0एस0टी0 आर-3-बी, जी0एस0टी0 आर-2-ए एवं जी0एस0टी0 आर-1 के द्वारा फर्जी बिल/इन्वाइस से बिना माल सप्लाई के आई.टी.सी. को सरकार से क्लेम किया गया। उसने कथित निर्दिष्ट किये गये वाहन; जो माल ढोने में सक्षम ही नहीं थे से उनसे माल को वहन करना दर्शाया गया और उसके द्वारा स्वयं संचालित फर्मो को आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हुये आई.टी.सी पास आन की गई और कर अपवंचन कर राजस्व चोरी कर आई.टी.सी. का अनुचित लाभ ले कर उत्तराखण्ड माल सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (क) (ख) (ग) का उल्लंघन किया गया गया। इस प्रकार अभियुक्त उक्त अधिनियम की धारा 132 (1) (i) में दोषसिद्ध किये जाने का योग्य है। तदनुसार उसे दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त इस मामले में न्यायिक हिरासत में है, उसे दण्ड के प्रश्न पर सुना जायेगा।

दिनांक 17/12/2022

(मुकेश चन्द्र आर्य)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
जिला हरिद्वार

133. अभियुक्त सुरेन्द्र को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया, कि उस पर आरोप गलत लगा है और जो राशि अभियोजन के द्वारा वर्तमान मामले में उसके विरुद्ध कर अपवंचन की बतायी गयी है वह गलत बतायी गयी है। अतः उसे माफ किया जाए। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है अभियुक्त को भी कठोर दण्ड से दंडित किया जाये।

134. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के विचार से अभियुक्त के प्रति, उदार दृष्टिकोण रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसने तो अपराध किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न करके राज्य की आर्थिकी के प्रति किया है। अभियुक्त ने तो अपनी आपराधिक प्रवृत्ति का सार्वजनिक रूप से इस प्रकार प्रदर्शन किया जिसके कारण उसके लालच ने व्यापक आयाम ग्रहण कर लिया था। अभियुक्त का ऐसा आचरण उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिकी को विकृत करने वाला और राज्य के प्रति एक गम्भीर चुनौती है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त को धारा 360 दं०प्र०सं० का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाता है और उसके प्रति कोई उदारता बरते जाने का न्यायोचित आधार उपलब्ध न पाते हुए उसे निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

(i) अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को आरोप अपराध अंतर्गत धारा 132 (1) (i) यू०के०जी०एस०टी० एक्ट में 05 (पांच वर्ष) का कठोर कारावास और ₹1,00,000/- (एक लाख रूपया) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर उसको 06 माह (छः माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(ii) अभियुक्त ने यदि पूर्व में इस मामले के संबंध में जेल में कोई अवधि व्यतीत की गयी हो, तो वह धारा 428 दं०प्र०सं० के उपबंधानुसार, इस दी गयी सजा की अवधि में नियमानुसार मुजरा की जायेगी। तदनुसार उसका सजायावी वारंट तैयार कर जेल भेजा जाए। अभियुक्त को वर्तमान



मामले में दं0प्र0सं0 की धारा 374 के तहत अपील का अधिकार है।

(iii) इस निर्णय की प्रति अविलम्ब अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये। वर्तमान मामले में माल मुकदमाती बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित हो।

(iv) इस निर्णय की एक प्रति अंतर्गत धारा 365 दं0प्र0सं0 के उपबंधानुसार, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को प्रेषित की जाए। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही के दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17/12/2022

(मुकेश चन्द्र आर्य)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
जिला हरिद्वार

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 17/12/2022

(मुकेश चन्द्र आर्य)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
जिला हरिद्वार

साक्ष्य का परिशिष्ट
अभियोजन/प्रतिरक्षा-पक्ष/न्यायालय के साक्ष्य की सूची
अनुलग्न-1

ए. अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्ल्यू01	धर्मेन्द्र राज चौहान	परिवादी/तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू02	विनय कुमार पाण्डेय	तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू03	टीकाराम	तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू04	मनमोहन असवाल	तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू05	ईशा	तथ्य का साक्षी

बी. प्रतिरक्षा-पक्ष साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

सी. न्यायालय साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

दिनांक 17/12/2022

(मुकेश चन्द्र आर्य)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
जिला हरिद्वार।

अभियोजन/प्रतिरक्षा-पक्ष/न्यायालय के साक्ष्य के प्रदर्श की सूची
अनुलग्न-2

ए. अभियोजन के प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	पी-1/पी.डब्ल्यू.1	परिवादपत्र
2	पी-2/पी.डब्ल्यू.1	परिवाद दाखिल करने हेतु अनुमति पत्र
3	पी-3/पी.डब्ल्यू.1	जी0एस0टी0 रिटन से सम्बन्धित प्रपत्र
4	पी-4/पी.डब्ल्यू.1	जी0एस0टी0 रिटन से सम्बन्धित प्रपत्र
5.	पी-5/पी.डब्ल्यू.1	जी0एस0टी0 रिटन से सम्बन्धित प्रपत्र
6.	पी-6/पी0डब्ल्यू.1	फर्मों के रजिस्ट्रेशन का विवरण
6.	पी-7 लगायत पी-10/पी.डब्ल्यू.1	अभियुक्त द्वारा जिन फर्मों से आई0टी0सी0 प्राप्त की गयी तथा जिनको सप्लाई घोषित की गयी उनका रजिस्ट्रेशन विवरण
7.	पी-11/पी.डब्ल्यू.1	ई-वे बिल में घोषित वाहनों के विभिन्न टोल प्लाजा पर आवागमन की स्थिति
7.	पी-12/पी.डब्ल्यू.1	अभियुक्त की फर्म पर सर्च/सीजर हेतु प्राप्त अधिकारपत्र एवं जांच के पंचनामा
8.	पी-13/पी.डब्ल्यू.1	बयान ओमप्रकाश नैथानी अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
9.	पी-14/पी.डब्ल्यू.1	बयान काजल चौहान अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
10.	पी-15/पी.डब्ल्यू.1	बयान सुरेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
11.	पी-16/पी.डब्ल्यू.1	उत्तराखण्ड के बाहर के फर्मों की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट
12.	पी-17/पी.डब्ल्यू.1	ट्रांसपोर्टर्स की जांच पर उनके द्वारा प्रेषित सत्यापन पत्र
13.	पी-18/पी.डब्ल्यू.1	वाहन पोर्टल से प्राप्त वाहन की रिपोर्ट
14.	पी-19/पी.डब्ल्यू.1	फर्म पी0एस0 इण्टरप्राईजेज के व्यापार स्थल से अभिगृहित गेट रजिस्टर एवं बिल
15	पी-20/पी.डब्ल्यू.1	दिल्ली एवं हरियाणा की फर्म स्वामी को प्रेषित समन की स्थिति

16	पी-21 / पी.डब्ल्यू.1	फर्म प्राईम एण्ड कम्पनी के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त-5 देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट
17	पी-22 / पी.डब्ल्यू.1	बयान नीतू अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
18	पी-23 / पी.डब्ल्यू.1	बयान सुनैना कुमारी अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
19	पी-24 / पी.डब्ल्यू.1	बयान दीपक चौहान अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
20	पी-25 / पी.डब्ल्यू.1	आई0पी0 एड्रेस का विवरण
21	पी-26 / पी.डब्ल्यू.1	बयान रोहित मनचंदा अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
22	पी-27 / पी.डब्ल्यू.1	बयान विवेक अग्रवाल अन्तर्गत धारा 70 यू0के0जी0एस0टी0,2017
23	पी-28 / पी.डब्ल्यू.1	इनवर्ड एवं आउटवर्ड सप्लाय हेतु बनाये गये ई-वे बिल
24	पी-29 / पी.डब्ल्यू.1	बैंक खातों का विवरण
25	पी-30 / पी.डब्ल्यू.1	अभियुक्त की फर्मों के कैश एण्ड क्रेडिट लेजर का विवरण
26	पी-31 / पी.डब्ल्यू.2	अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कमिश्नर द्वारा दिया गया अधिकारपत्र
27	पी-32 / पी.डब्ल्यू.2	गिरफ्तारी मीमो
29	पी-33 / पी.डब्ल्यू.4	65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र
30	पी-34 / पी.डब्ल्यू.5	65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र
31	पी-35 / पी.डब्ल्यू.2	65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र
32	पी-36 / पी.डब्ल्यू.3	65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र

बी. प्रतिरक्षा-पक्ष के प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
शून्य	शून्य	शून्य

सी. न्यायालय के प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
शून्य	शून्य	शून्य

डी. वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
1	एम0ओ0-1 / पी.डब्ल्यू.1	जी0एस0टी0 रिटर्न से सम्बन्धित प्रपत्र



2	एम0ओ0-2/पी.डब्ल्यू.1	जी0एस0टी0 रिटन से सम्बन्धित प्रपत्र
3	एम0ओ0-3/पी.डब्ल्यू.1	जी0एस0टी0 रिटन से सम्बन्धित प्रपत्र
4	एम0ओ0-4/पी.डब्ल्यू.1	बॉक्स (संदूक)
5	एम0ओ0-5/पी.डब्ल्यू.1	ताला

दिनांक 17/12/2022

(मुकेश चन्द्र आर्य)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार
जिला हरिद्वार।